नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 203, नई दिल्ली, बुधवार 28 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सफलता केवल मंज़िल पाने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का नाम है।"

02 डॉक्टरों से आगे: भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य संकट का समाधान

06 खेतों में मेहनत, हक़ों में पीछे: महिला किसानों की अनकही कहानी

08 मंत्री इरफान ने अर्णब से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन को एलर्ट मोड पर रखा

परिवहन विशेष समाचार पत्र - वरिष्ठ नागरिक न्याय

60 पर पेंशन और आयुष्मान - एहसान नहीं, अनुच्छेद 21 और 41 का संवैधानिक हक

टोलवा ट्रस्ट का PMO को प्रतिवेदन – आधार से Auto-Enrolment, पूरे भारत में कैशलेस स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन कोष की मांग

तथ्य एक नजर में

- प्रस्तुतकर्ता: केके छाबड़ा उपाध्यक्ष एवम् पिंकी कुंडू, राष्ट्रीय महासचिव - टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत) एवं सह संपादक - परिवहन विशेष समाचार पत्र

– **जनसंख्या:** देश में 14 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक, 2036 तक 22 करोड़ अनुमानित

– **कानूनी दर्जा:** 60 वर्ष पर ही वरिष्ठ नागरिक - आयकर अधिनियम, रेलवे रियायत, सेवा निवृत्ति नियम

– **वर्तमान विसंगति:** आयुष्मान भारत में 70+ को कवर, जबकि सबसे अधिक स्वास्थ्य खर्च 60-70 में

– **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 14, 21, 38, 41, 47 | वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 | सुप्रीम कोर्ट Ashwani Kumar Vs UOI 2019



विस्तृत विश्लेषण – 4 मुख्य बिंदु

1. यह दया नहीं, अधिकार है - अनुच्छेद 21 की व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने Paschim Banga Khet Mazdoor Samity (1996) और Mohinder Singh Chawla (1997) में स्पष्ट किया - समय पर इलाज न देना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 41 कहता है - राज्य बुढ़ापे में लोक सहायता का प्रबंध करेगा। इसलिए पेंशन भीख नहीं, हक है।

2. 60-70 का दशक सबसे संवेदनशील: NITI आयोग के आंकड़ों के अनुसार 60-70 आयु में हृदय रोग, मधुमेह, मोतियाबिंद, घुटना प्रत्यारोपण का बोझ 68% है। 70 तक इंतजार कराने से परिवार कर्ज और गरीबी में जाता है। एक ही नागरिक के लिए दो उम्र के पैमाने - यह अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन।

3. **वर्तमान व्यवस्था की जटिलता:**
BPL सूची, आय प्रमाण, राज्य-केंद्र गतिरोध - दिल्ली जैसे राज्यों में आयुष्मान पूरी तरह लागू नहीं। बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता।
समाधान - Digital India का आधार मॉडल।

4. **टोलवा ट्रस्ट का 3-सूत्रीय समाधान जो PMO को भेजा गया:**
- Auto-Enrolment @60: आधार में जन्मतिथि सत्यापित है, 60 पूरे होते ही स्वत: DBT पेंशन (3000-5000) और आयुष्मान कार्ड सक्रिय, SMS सूचना।
- One Nation One Senior Card: 100% कैशलेस, पूरे भारत में मान्य, कोई आय सीमा नहीं, राज्य की बाधा समाप्त।
- Dignity Fund: बजट में वैधानिक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष।

संपादकीय टिप्पणी: अंत्योदय का अर्थ है अंतिम व्यक्ति तक न्याय। जब 60 पर आय छिनती है, तो उसी दिन से सम्मान मिलना चाहिए। सरकार के एक निर्णय से करोड़ों बुजुर्गों को कतार से मुक्ति और घर बैठे अधिकार मिलेगा।

Happiest Birthday डॉ. मोनरुदी सोम्मार्ट - वैश्विक बौद्ध एकता और समावेशी वित्त की प्रणेता

परिवहन विशेष समाचार पत्र एवं टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू
सह संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र
राष्ट्रीय महासचिव टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत

तथ्य एक नजर में:
- नाम: डॉ. मोनरुदी सोम्मार्ट
- संस्थापक: Page3News
– **वर्तमान दायित्व:** उपाध्यक्ष, वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेडरेशन इंटरनेशनल
- अंतरराष्ट्रीय समन्वयक: Bricks Pay
– **मिशन:** बौद्ध समुदाय में वैश्विक संवाद, सहयोग, एकजुटता और समावेशी वित्तीय समाधान

मुख्य बिंदु:
1. **मीडिया नेतृत्व:** Page3News की संस्थापक के रूप में वैश्विक समाचार में बौद्ध दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों को मंच देना।
2. **बौद्ध कूटनीति:** वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेडरेशन में उपाध्यक्ष के रूप में विश्व शांति, करुणा और अंतर-धार्मिक सहयोग को बढ़ावा।
3. **वित्तीय समावेशन:** Bricks Pay के माध्यम से नवोन्मेषी, सुलभ वित्तीय समाधान जो सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करे।
4. **जनकल्याण दृष्टि:** एकजुटता, सहयोग और समावेशिता - यही डॉ. सोम्मार्ट के कार्यों का मूल मंत्र।

संपादकीय टिप्पणी: डॉ. मोनरुदी सोम्मार्ट जैसी विभूति का जन्मदिन केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं, वैश्विक बौद्ध एकता और समावेशी विकास के संकल्प का दिन है। परिवहन विशेष एवं टेंपल ट्रस्ट उनके दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और वैश्विक मिशन की सफलता की कामना करता है।



दीपावली पर जरा-सी लापरवाही, खुशियों पर पड़ सकती है भारी - पिंकी कुंडू की सुरक्षा अपील

पटाखे चलाते समय बरतें सावधानी, कार्बाइड गन और लैंप से रहें दूर; बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

अपीलकर्ता: पिंकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता, टोलवा ट्रस्ट एवं परिवहन विशेष समाचार पत्र

तथ्य एक नजर में
- पर्व: दीपावली - रोशनी, उमंग और मिठास का पर्व
- खतरा: पटाखों से आंखों, चेहरे, त्वचा पर गंभीर चोट, आग से दुर्घटना
- नया खतरा: कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप - कैल्शियम कार्बाइड + पानी = अत्यधिक ज्वलनशील एसीटिलीन गैस, विस्फोट से शरीर झुलसने का खतरा

विस्तृत विश्लेषण – 3 मुख्य बिंदु

1. **समस्या क्यों गंभीर:** दीपावली की खुशियां तभी सार्थक हैं जब हर परिवार सुरक्षित रहे। जलते पटाखे हाथ में रखना, न जले पटाखे को दोबारा जलाना, बंद जगह में पटाखे चलाना - यही छोटी लापरवाही बड़े हादसे में बदलती है। विशेषकर आंखों की चोटें स्थायी नुकसान दे सकती हैं।

2. **कार्बाइड गन – अनदेखा खतरा:** कैल्शियम कार्बाइड पानी के संपर्क में आते ही एसीटिलीन गैस बनाता है। गैस में आग लगने पर तेज विस्फोट होता है। बच्चों द्वारा खिलौने के रूप में इसका उपयोग सबसे खतरनाक है। इसलिए इनसे पूरी तरह दूरी जरूरी।

3. **सुरक्षित दीपावली के 5 नियम:**
- खुले और सुरक्षित स्थान पर ही पटाखे जलाएं
- बच्चों को बड़ों की निगरानी में ही पटाखे चलाने दें
- जलते पटाखे हाथ में न रखें, उचित दूरी बनाए रखें
- ज्वलनशील पदार्थों से दूर भंडारण करें, प्रतिबंधित पटाखों से बचें
- दुर्घटना पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें, आसपास बुजुर्गों-बच्चों का ध्यान रखें

संपादकीय टिप्पणी: उत्साह जरूर दिखाएं, पर सुरक्षा से समझौता न करें। सावधानी से मनाया गया त्योहार ही सच्ची मुस्कान लाता है।



सेक्टर-13 रोहिणी में पुलिस-जन सहयोग की मिसाल - NSUF की शिकायत पर SHO की त्वरित कार्रवाई से लौटी सुरक्षा की भावना

शाम होते ही आपत्तिजनक गतिविधियों और शराब सेवन से परेशान निवासियों को मिली राहत, K.N. Katju Marg थाने का सराहनीय कदम

प्रस्तुतकर्ता: श्री संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

तथ्य एक नजर में
– **स्थान:** सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली - K.N. Katju Marg थाना क्षेत्र
– **शिकायतकर्ता:** P.S. Bahl, Convenor & Founder Member, Neighbouring Societies Unity Forum (NSUF) - गैर-राजनीतिक जनकल्याण मंच, पूर्व दिल्ली पुलिस अधिकारी
– **समस्या:** शाम/रात में पार्क में कारों में युवक-युवतियों का जमावड़ा, खुले में शराब सेवन, बोतलें गाड़ियों पर रखना, महिला और वरिष्ठ नागरिकों में असुरक्षा
– **कार्रवाई:** SHO श्री प्रमोद आनंद द्वारा तत्काल संज्ञान, उसी शाम 18-20 CRPF जवान + बीट हेड कॉन्स्टेबल के साथ संयुक्त रात्रि गश्त

विस्तृत विश्लेषण – 3 मुख्य बिंदु

1. **समस्या** - क्यों जरूरी थी कार्रवाई: कई हफ्तों से स्थानीय पार्क और सुनसान स्थानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। सुबह-शाम टहलने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं ने टहलना कम कर दिया था। यह केवल कानून-व्यवस्था नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य का मुद्दा था।

2. **कार्रवाई** - मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण: NSUF द्वारा लिखित/मौखिक सूचना पर SHO ने फाइल में नहीं रखा। उसी शाम बल भेजा। NSUF सदस्यों ने स्वयं पुलिस के साथ चलकर संवेदनशील पॉइंट दिखाए, ग्राउंड रियलिटी समझाई। यह Community Policing का जीवंत उदाहरण - जनता ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जनता को साथ लिया।

3. **परिणाम और संदेश:** SHO ने आश्वासन दिया - गश्त कई दिनों तक जारी रहेगी, जब तक निवासी सुरक्षित महसूस न करें। इसका उद्देश्य एक अफसर की प्रशंसा नहीं, बल्कि ऐसी त्वरित, दृश्य और जवाबदेह पुलिसिंग की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

संपादकीय टिप्पणी: जब पूर्व पुलिस अधिकारी P.S. Bahl जैसे जागरूक नागरिक आगे आते हैं और SHO प्रमोद आनंद जैसे अधिकारी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो सुरक्षित समाज बनता है। इस पहल को समाचार पत्र में स्थान देना अन्य थानों के लिए भी प्रेरणा बनेगा।



परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरु करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरु किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

नींद और मस्तिष्क का स्वास्थ्य : अच्छी नींद: स्वस्थ मस्तिष्क, तेज़ याददाश्त और बेहतर मानसिक क्षमता की कुंजी

नींद और मस्तिष्क का स्वास्थ्य नींद केवल आराम नहीं, मस्तिष्क की प्राकृतिक देखभाल है !

क्या आप जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है? नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर सीखी गई जानकारी को व्यवस्थित करता है, यादों को मजबूत बनाता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं में भाग लेता है।

पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद हमारे मस्तिष्क, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन तथा सीखने की क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1. गहरी नींद (Deep Sleep): मस्तिष्क की मरम्मत और यादों को मजबूत करने का समय

गहरी नींद को Slow-Wave Sleep भी कहा जाता है। यह नॉन-REM (NREM) नींद का एक महत्वपूर्ण चरण है।

इस दौरान:

1. मस्तिष्क में धीमी विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं।

2. दिनभर सीखी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और अनुभवों की यादों को मजबूत करने में सहायता मिलती है।

3. मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संपर्कों का पुनर्गठन होता है, जिससे सीखने और याद रखने की प्रक्रिया को लाभ मिलता है।

4. शरीर की पुनर्बहाली और सामान्य शारीरिक कार्यों के नियमन में सहायता मिलती है।

5. मस्तिष्क में तरल पदार्थों की आवाजाही और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से संबंधित प्रक्रियाएँ सक्रिय रहती हैं।

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद के दौरान मस्तिष्क की सफाई में ग्लिम्फैटिक प्रणाली (Glymphatic System) की भूमिका हो सकती है।

यह प्रणाली मस्तिष्क के ऊतकों से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में योगदान देती है। हालाँकि, मनुष्यों में यह प्रक्रिया कितनी और किस प्रकार काम करती है, इस पर अभी भी शोध जारी है।

2. REM नींद: सपने, भावनाएँ और यादों का समन्वय

REM का पूरा नाम Rapid Eye Movement है। इस चरण में आँखें तेजी से घूमती हैं और मस्तिष्क की गतिविधि जागने की अवस्था जैसी हो सकती है। इस दौरान अधिक जीवंत सपने भी आते हैं।

REM नींद के संभावित लाभ:

1. भावनात्मक अनुभवों और यादों के प्रसंस्करण में सहायता।

2. कुछ प्रकार की सीखने की प्रक्रियाओं और स्मरण शक्ति को समर्थन।

3. भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तथा मानसिक संतुलन के नियमन में योगदान।

4. नई जानकारी और पुराने अनुभवों के बीच संबंध बनाने में संभावित भूमिका।

ध्यान दें: याददाश्त को मजबूत करना केवल REM नींद का काम नहीं है। गहरी NREM नींद और अन्य नींद के चरण भी सीखने तथा यादों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क इन चरणों के बीच रातभर कई बार चक्र पूरा करता है।

3. मस्तिष्क की सफाई और अल्जाइमर रोग से संबंध मस्तिष्क में सामान्य चयापचय के दौरान विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनमें बीटा-अमाइलॉइड जैसे प्रोटीन भी शामिल हैं, जिनका असामान्य जमाव अल्जाइमर रोग से जुड़ा पाया गया है।

अनुसंधान से संकेत मिलता है कि

1. नींद और मस्तिष्क की अपशिष्ट-निष्कासन प्रक्रियाओं के बीच संबंध है।

2. लगातार अपर्याप्त नींद और कुछ प्रकार के न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के बीच भी संबंध देखे गए हैं।



लेकिन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर समझना जरूरी है: यह कहना अभी उचित नहीं है कि गहरी नींद सीधे मस्तिष्क से सभी विषैले पदार्थों को साफ कर देती है या पर्याप्त नींद लेने से अल्जाइमर रोग को निश्चित रूप से रोका जा सकता है। इस विषय पर मनुष्यों में अधिक शोध की आवश्यकता है। फिर भी, अच्छी नींद मस्तिष्क के स्वास्थ्य और सामान्य संज्ञानात्मक कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

4. नींद की कमी का मस्तिष्क पर प्रभाव

लगातार कम या बाधित नींद के कारण:

1. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है।

2. नई जानकारी सीखने और याद रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

3. निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।

4. चिड़चिड़ापन, तनाव और भावनात्मक असंतुलन बढ़ सकता है।

5. दिन में उनींदापन और प्रतिक्रिया देने की गति में कमी हो सकती है।

लंबे समय तक खराब नींद का संबंध कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी पाया गया है। इसलिए नींद को विलासिता नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यक आदत समझना चाहिए।

5. अच्छी नींद के लिए व्यावहारिक सुझाव

1. नियमित समय पर सोएँ और जागें: सप्ताहांत में भी समय का अंतर बहुत अधिक न रखें।

2. 7–9 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें: अधिकांश वयस्कों के लिए यह सामान्य अनुशंसा है। वरिष्ठ नागरिकों को भी आमतौर पर कम-से-कम 7 घंटे की नींद का लक्ष्य रखना चाहिए, हालाँकि व्यक्तिगत आवश्यकता अलग हो सकती है।

3. सुबह प्राकृतिक रोशनी लें: सुबह की रोशनी और नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर की जैविक घड़ी को नियमित रखने में मदद कर सकती हैं।

4. नियमित व्यायाम करें: दिन में चलना, हल्का व्यायाम और अपनी क्षमता के अनुसार योग नींद की गुणवत्ता में मदद कर सकते हैं।

5. सोने से पहले स्क्रीन और तेज रोशनी कम करें: शांत वातावरण बनाएँ और सोने से ठीक पहले उत्तेजक सामग्री देखने से बचें।

6. देर शाम कैफीन से बचें: चाय, कॉफी और अन्य कैफीनयुक्त पेय कुछ लोगों की नींद को प्रभावित कर सकते हैं।

7. रात में भारी भोजन से बचें: सोने के बहुत करीब भारी भोजन करने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है।

8. दिन में लंबी झपकी न लें: यदि झपकी आवश्यक हो, तो उसे छोटा रखें और देर शाम सोने से बचें।

6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष संदेश: उम्र बढ़ने के साथ नींद का स्वरूप बदल सकता है और रात में बार-बार जागने की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन उम्र बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि खराब नींद को सामान्य मानकर स्वीकार कर लिया जाए।

यदि तेज खर्राटे आते हैं, नींद में साँस रुकती है, सुबह सिरदर्द रहता है या दिन में अत्यधिक नींद आती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। ये स्लीप एपनिया या अन्य नींद संबंधी समस्याओं के संकेत हो सकते हैं।

लगातार याददाश्त में गिरावट होने पर भी केवल उम्र या नींद को कारण मानकर न चलें; चिकित्सकीय मूल्यांकन जरूरी हो सकता है।

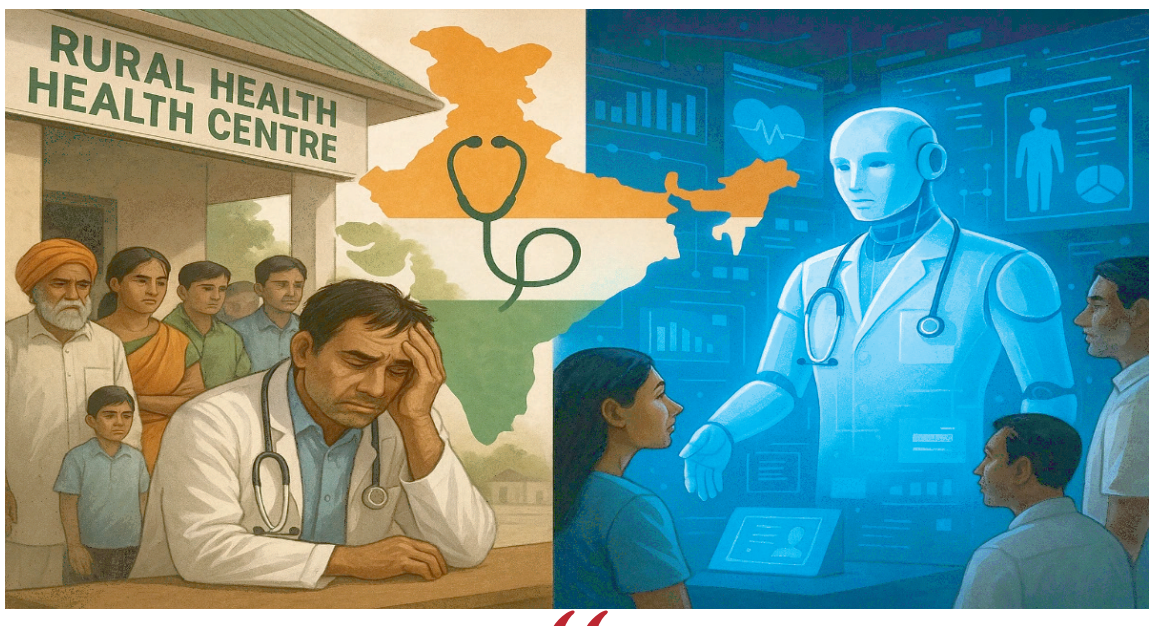
अच्छी नींद मस्तिष्क के लिए प्राकृतिक सहायक है। यह सीखने, याददाश्त, भावनात्मक संतुलन और सामान्य मस्तिष्कीय कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

व्यायाम, संतुलित आहार, मानसिक सक्रियता, सामाजिक जुड़ाव और नियमित नींद—ये सभी स्वस्थ उम्र बढ़ने के महत्वपूर्ण आधार हैं।

याद रखें: अच्छी नींद आज की ऊर्जा ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण निवेश है।

डॉक्टरों से आगे: भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य संकट का समाधान

डॉ. विजय गर्ग



भारत आज भी अपने सभी नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें डॉक्टरों की कमी और उनका असमान वितरण एक प्रमुख समस्या है, विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में। अनेक परिवारों के लिए बीमारी केवल शारीरिक पीड़ा का कारण नहीं बनती, बल्कि आर्थिक असुरक्षा, मानसिक तनाव और भविष्य के प्रति अनिश्चितता भी पैदा करती है।

खराब स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ

ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है। मरीजों को अस्पताल पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी, आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता और जाँच सेवाओं का अभाव उपचार में देरी का कारण बनते हैं। जिन बीमारियों का शुरुआती अवस्था में आसानी से इलाज किया जा सकता है, वे भी समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण गंभीर रूप धारण कर सकती हैं।

इसका सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ता है। दवाइयों, जाँचों, परिवहन और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च उनकी सारी बचत समाप्त कर सकता है। कई परिवार उपचार के लिए कर्ज लेने, संपत्ति बेचने या अन्य आवश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार बीमारी लंबे समय तक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है।

इसका मानसिक बोझ भी कम नहीं होता। जब परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और उपचार प्राप्त करना कठिन हो, तो परिवार के लोग चिंता, असहायता और निराशा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता केवल चिकित्सा संबंधी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है।

डॉक्टर अकेले हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की सभी कमियों को दूर करना केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अनेक पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों को अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, सीमित उपकरणों, सहायक कर्मचारियों की कमी और मरीजों के अत्यधिक दबाव जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

केवल डॉक्टरों को ग्रामीण अस्पतालों में नियुक्त कर देने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सुनिश्चित नहीं हो सकता, यदि वहाँ आवश्यक दवाइयाँ, जाँच सुविधाएँ, निर्बाध बिजली और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध न हो। प्रभावी उपचार के लिए डॉक्टरों को सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण, उचित आवास, व्यावसायिक विकास के अवसर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।

सरकारी निवेश और सुविधाओं की कमी से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का पूरा भार व्यक्तिगत डॉक्टरों पर डालना उचित नहीं है। स्वास्थ्य नीतियों का उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत करना और ऐसी परिस्थितियाँ बनाना होना चाहिए, जिनमें योग्य डॉक्टर स्वेच्छा से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें।

स्वास्थ्य केवल दवाइयों से बेहतर नहीं होता

स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू अक्सर अनदेखा रह जाता है। केवल चिकित्सा उपचार से उन सामाजिक परिस्थितियों को समाप्त नहीं किया जा सकता, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती हैं।

डॉक्टर का पर्चा भूखे बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं दे सकता। दवाइयाँ अपने आप स्वच्छ पेयजल, उचित स्वच्छता या सुरक्षित आवास सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। इसी प्रकार शल्य चिकित्सा गरीबी, कुपोषण और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सीधा समाधान नहीं है।

खराब पोषण, दूषित पानी, स्वच्छता की कमी और अस्वस्थ जीवन परिस्थितियाँ अनेक बीमारियों को जन्म देती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभागों, स्थानीय प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है।

> केवल डॉक्टरों को ग्रामीण अस्पतालों में नियुक्त कर देने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सुनिश्चित नहीं हो सकता, यदि वहाँ आवश्यक दवाइयाँ, जाँच सुविधाएँ, निर्बाध बिजली और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध न हो। प्रभावी उपचार के लिए डॉक्टरों को सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण, उचित आवास, व्यावसायिक विकास के अवसर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। सरकारी निवेश और सुविधाओं की कमी से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का पूरा भार व्यक्तिगत डॉक्टरों पर डालना उचित नहीं है। स्वास्थ्य नीतियों का उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत करना और ऐसी परिस्थितियाँ बनाना होना चाहिए, जिनमें योग्य डॉक्टर स्वेच्छा से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें।

इसलिए बीमारियों की रोकथाम उपचार जितनी ही महत्त्वपूर्ण है। टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, नियमित स्वास्थ्य जाँच, समय पर रोग की पहचान और जन-जागरूकता अनेक बीमारियों को रोक सकती हैं या उनकी गंभीरता कम कर सकती हैं। पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता भी अनावश्यक चिकित्सा आपात स्थितियों को कम करने में सहायक हो सकती है।

मजबूत ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण

भारत को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी, आवश्यक दवाइयाँ और विश्वसनीय जाँच सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रामीण अस्पतालों में प्रभावी आपातकालीन सेवाएँ और मरीजों को उच्च स्तरीय अस्पतालों तक पहुँचाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में डॉक्टरों को आकर्षित करने और उन्हें लंबे समय तक सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के प्रभावी उपाय करने चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित आवास, व्यावसायिक विकास और उच्च शिक्षा के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा को अधिक आकर्षक बना सकते हैं।

टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण मरीजों को बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ा जा सकता है। हालाँकि, डिजिटल परामर्श को प्रत्यक्ष चिकित्सा जाँच और आपातकालीन सेवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि उनका पूरक होना चाहिए।

किफायती उपचार भी एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता है। सुलभ सरकारी अस्पताल, प्रभावी स्वास्थ्य बीमा और अत्यधिक चिकित्सा खर्च से परिवारों की सुरक्षा उन्हें कर्ज के बोझ से बचा सकती है। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल, सफाई, पोषण, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में निवेश को सार्वजनिक स्वास्थ्य का आवश्यक हिस्सा माना जाना चाहिए।

साझा जिम्मेदारी

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार, चिकित्सा संस्थानों, स्वास्थ्यकर्मियों और समुदायों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। सरकार को पर्याप्त बजट और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना चाहिए, अस्पतालों को उपचार के निर्धारित मानकों को बनाए रखना चाहिए और डॉक्टरों को संवेदनशीलता तथा व्यावसायिक जिम्मेदारी के साथ मरीजों की सेवा करनी चाहिए।

हालाँकि, स्वस्थ समाज के निर्माण की जिम्मेदारी केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है। लोगों को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी, सुरक्षित वातावरण और विश्वसनीय स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए।

भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य संकट का समाधान केवल अधिक डॉक्टरों को कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए कहने से नहीं हो सकता। देश को ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है, जो चिकित्सा पेशेवरों को आवश्यक सहयोग प्रदान करे और प्रत्येक नागरिक के लिए समय पर, किफायती तथा सम्मानजनक उपचार सुनिश्चित करे।

स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण केवल अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति से नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने से होता है, जिनमें लोग स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य सेवाएँ तभी सार्थक बनती हैं, जब चिकित्सा उपचार, सामाजिक कल्याण और मानवीय गरिमा एक साथ काम करते हैं।

प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मुनाफाखोरी पर अब आर-पार की लड़ाई?

सुप्रीम कोर्ट में 551 पेज एफिडेविट – सभी मेडिकल कानूनों में संशोधन की तैयारी? सरकार ने प्राइवेट बिल पर लगाम ठानी, अगली सुनवाई 29 जनवरी 2027

लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)



तथ्य एक नजर में:

- याचिकाएं: WP(C) 794/2023 किशनचंद जैन vs एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड एवं WP(C) 717/2026 डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ vs भारत संघ

- पीठः न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता

- सूचीबद्धता: 12 अक्टूबर 2026 के रिकॉर्ड अनुसार 27 अक्टूबर 2026 दोपहर 2 बजे सुनवाई, आज के आदेश से 29 जनवरी 2027 अनुपालन रिपोर्ट पर विचार

- सरकारी पक्षः रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को 551 पन्नों का एफिडेविट दाखिल किया

- मुख्य आरोपः 2,700 रु. लागत की कैंसर दवा की MRP 27,000 रु. तक - 10 गुना अंतर, कुछ मेडिकल कंज्यूमेबल पर 170% से 700% और 1000% तक मार्जिन

विस्तृत संपादकीय विश्लेषण:

1. न्यायिक आदेश एवं प्रक्रिया:

8 अक्टूबर 2026 को पीठ ने फार्मा मार्केटिंग को वैधानिक रूप से नियंत्रित करने हेतु समिति गठित करने का निर्देश दिया। प्रिस्क्रिप्शन पर नजर, डॉक्टरों को मुफ्त उपहार, यात्रा, सम्मेलन प्रायोजन पर रोक की मांग। यह केवल बिल नहीं, हितों के टकराव का मामला है। 29 सितंबर सुनवाई में 16% समान मार्जिन मानदंड पर विचार उठा - यह अंतिम आदेश नहीं, न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रश्न है।

2. राजपत्रित अधिसूचनाएं और कानूनी ढांचा:

- DPCO 2013 (Drug Price Control Order): NPPA द्वारा अनुसूचित दवाओं का मूल्य नियंत्रण, गैर-अनुसूचित पर TMR - Trade Margin Rationalization

- क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2010: धारा 12 के तहत पंजीकरण, न्यूनतम मानक, दर सूची सार्वजनिक करना अनिवार्य, पर राज्यवार लागू स्थिति भिन्न

- NMC अधिनियम 2019 व एथिक्स रेगुलेशन: जेनेरिक नाम से प्रिस्क्रिप्शन, ब्रांड बाध्यता नहीं

- UCPMP 2024: Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices - वैधानिक बनाने की तैयारी

- प्रस्तावः गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर अधिकतम 30% ट्रेड मार्जिन कैप, MRP में भारी कमी संभव

3. मूल अधिकार और संवैधानिक आयाम:

- अनुच्छेद 21: जीवन का अधिकार - इसमें स्वास्थ्य का अधिकार निहित, मुनाफे के लिए इलाज से इनकार नहीं

- अनुच्छेद 21A और 47: राज्य का कर्तव्य पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारना

- अनुच्छेद 19(1)(g) vs उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: व्यापार की स्वतंत्रता असीम नहीं, अनुचित व्यापार प्रथा पर रोक, मरीज को सूचना का अधिकार - ब्रांड, जेनेरिक विकल्प, बाहर से दवा खरीदने की स्वतंत्रता

4. मरीज का अधिकार - 5 मुख्य बिंदु:

1. बिल में दवा, सिरिंज, ग्लव्स, कैथेटर, स्टेंट, ग्लूकोज ड्रिप की अलग-अलग खरीद लागत और MRP की पारदर्शिता

2. अस्पताल फार्मेसी से ही खरीदने की बाध्यता समाप्त, बाहर से खरीदने की अनुमति

3. जेनेरिक विकल्प की जानकारी पर केवल कीमत नहीं, गुणवत्ता, खुराक, उपयुक्तता भी देखना

4. फार्मा गिफ्ट से प्रिस्क्रिप्शन प्रभावित न हो, जवाबदेही तय

5. भंडारण, आपात आपूर्ति खर्च के नाम पर उचित मार्जिन - 16% मानदंड पर व्यापक चर्चा

निष्कर्ष: यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए निर्णायक अवसर है। कानून प्रस्ताव है, राहत अभी नहीं। असली कसौटी अस्पताल बिल में दिखेगी।



मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा? शायद हम पहले से ही स्वर्ग में जी रहे हैं - कृतज्ञता ही सच्चा स्वर्ग

सुविधाओं से भरे जीवन में शिकायत नहीं, धन्यवाद का भाव – पिंकी कुंडू का जनकल्याण संदेश

संदेशकर्ता: पिंकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता - जनहित में जीवन-दृष्टि



तथ्य एक नजर में

- **मिथक:** स्वर्ग पाने के लिए पुण्य के अंक जमा करने पड़ते हैं - उपवास, दान, तीर्थ, मन्नत

- वास्तविकता: आज का सामान्य जीवन 200 साल पहले के राजा से भी अधिक सुविधासंपन्न

- विरोधाभास: बटन दबाते ही रोशनी, हवा, पानी, भोजन, दुनिया हथेली में - फिर भी असंतोष

विस्तृत विश्लेषण - 3 मुख्य बिंदु

1. हमारा अदृश्य स्वर्ग:

सुबह उठते ही चमत्कार - बटन से रोशनी, पंखे से हवा, AC से ठंडक, नल से पानी, गैस से मिनटों में भोजन, मोबाइल से पूरी दुनिया, वीडियो कॉल से हजारों किमी दूर अपनों से मिलना।

200 साल पहले का राजा यदि आज आए तो वह अपना महल छोड़ दे - गर्म पानी, ठंडी हवा, तुरंत भोजन, विश्व की जानकारी पर वह कहेगा ₹मैंने राज किया पर ऐसी सुविधाएं कभी नहीं मिलीं।"

2. दुख का मनोविज्ञान - तुलना:

1. AC है तो आनंद नहीं, बंद हो तो तकलीफ।

2. मोबाइल है तो संतोष नहीं, नेटवर्क जाए तो दुनिया खत्म।

3. अपना घर है पर पड़ोसी बड़ा है तो दुख।

4. अपनी गाड़ी है पर दूसरे की बड़ी है तो चिंता।

यानी हम अपने स्वर्ग में खड़े होकर दूसरे के स्वर्ग से तुलना करके दुखी हैं।

3. पृथ्वी पर ही स्वर्ग-नरक: इसी सड़क पर दो दुनियाएं -

1. एक बच्चा मोबाइल स्लो होने पर चिड़चिड़ाता है, दूसरा ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल न होने पर रोता है।

2. एक गर्म पानी 5 मिनट लेट होने पर शिकायत करता है, दूसरा ₹आज पानी मिल गया₹ कहकर प्रार्थना करता है।

3. लाखों लोग आज भी एक घड़ा पानी, पक्का मकान, दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। हमारे लिए सामान्य, उनके लिए सपना।

निष्कर्ष: स्वर्ग कोई जगह नहीं, अनुभव है - जो है उसके लिए कृतज्ञ होना। नरक भी जगह नहीं - जो मिला उसे भूलकर शिकायतों में जीना।

हर रात 5 बातें लिखिए:

1. सांस ले रहा हूँ
2. पानी है
3. खाना मिला
4. घर है
5. अपने साथ हैं।

ईश्वर हंसकर कहता है ₹मैंने तुझे स्वर्ग में ही रखा है, तू वहां भी शिकायतों का दफ्तर खोल बैठा है।₹

संपादकीय टिप्पणी: पिंकी कुंडू जी का यह चिंतन उपभोक्तावादी दौड़ में भटके समाज को आईना दिखाता है। कृतज्ञता गिनिए, शिकायत नहीं।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

28 अक्टूबर 2026 | दिन का अंक: 3 — रचनात्मकता, संवाद, अभिव्यक्ति, आशावाद और पहचान

मूलांक 1
धन व करियर: दिन का अंक 3 आपकी नेतृत्व ऊर्जा में संवाद, पहचान और रचनात्मकता जोड़ता है। प्रस्ताव रखें, निर्णय लेने वालों से बात करें या अपने काम को सामने लाएं, लेकिन आर्थिक योजना व्यावहारिक रखें।
रिश्ते: आपका आत्मविश्वास बातचीत को जीवंत और सकारात्मक बनाएगा। प्रशंसा और हल्का हास्य रखें, लेकिन सामने वाले को भी बराबर बोलने की जगह दें।
सावधानी: अहंकार भरी भाषा, दिखावे के खर्च और क्षमता से अधिक वादा करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण विचार स्पष्ट रूप से रखें और आत्मविश्वास से प्रेरित करें, दबाव न बनाएं।

मूलांक 2
धन व करियर: दिन 3 आपकी संवेदनशील प्रकृति को अधिक अभिव्यक्त होने को कहता है। सहयोगी विचार, क्लाइंट बातचीत या रचनात्मक सुझाव तब आगे बढ़ेगा जब आप चुपचाप पहचान मिलने का इंतजार न करें।
रिश्ते: आज भावनाएं व्यक्त करना आसान होगा। संकेत देने या सामने वाले से मूड समझ लेने की अपेक्षा करने के बजाय अपनी जरूरत सीधे कहें।
सावधानी: स्वीकृति पाने की कोशिश, भावनात्मक खर्च और सामान्य बातों को जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: नरम लेकिन स्पष्ट संवाद से एक महत्वपूर्ण संबंध मजबूत करें।

मूलांक 3
धन व करियर: आपके मूलांक 3 और दिन के अंक 3 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। रचनात्मकता, संवाद, आशावाद और पहचान बढ़ेंगे। प्रस्तुति, शिक्षण, कंटेंट, मार्केटिंग या नेटवर्किंग के लिए श्रेष्ठ दिन है, यदि उत्साह के साथ काम पूरा भी करें।
रिश्ते: आकर्षण और गर्मजोशी मजबूत रहेगी। हल्की-फुल्की बातचीत या सच्ची प्रशंसा रिश्ते में निकटता और ताजगी ला सकती है।
सावधानी: बिखरे फोकस, अधिक सामाजिक खर्च और केवल उत्साह में प्रतिबद्धता से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक रचनात्मक प्राथमिकता चुनें और उसे विचार से वास्तविक परिणाम तक ले जाएं।

मूलांक 4
धन व करियर: दिन 3 आपकी व्यवस्थित सोच में रचनात्मकता और संवाद जोड़ता है। व्यावहारिक योजना को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें और अनुशासन खोए बिना नए विचार से मौजूदा सिस्टम सुधारें।
रिश्ते: आप जिम्मेदारी से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन आज शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। केवल कामों पर निर्भर रहने के बजाय प्रशंसा स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।
सावधानी: अधिक आलोचना, कठोर सोच और रचनात्मक सुझाव को तुरंत नकारने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: स्थिर योजना में एक नया विचार जोड़ें और किसी खास व्यक्ति से उत्साहवर्धक बात कहें।

मूलांक 5
धन व करियर: दिन 3 आपके तेज दिमाग और संवाद क्षमता के अनुकूल है। बिक्री, नेटवर्किंग, यात्रा या डिजिटल गतिविधि अवसर ला सकती है, लेकिन वास्तविक मूल्य देने वाले संपर्कों पर ध्यान दें।
रिश्ते: सामाजिक ऊर्जा अधिक रहेगी और बातचीत सहज होगी। अपने इरादे स्पष्ट रखें ताकि मित्रतापूर्ण सहजता भ्रम न बनाए।
सावधानी: अचानक खरीदारी, गॉसिप और बहुत अधिक निमंत्रण या जिम्मेदारियां स्वीकार करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपनी सामाजिक ऊर्जा एक उपयोगी संपर्क पर केंद्रित करें और उसे आगे बढ़ाएं।

मूलांक 6
धन व करियर: दिन 3 आपकी देखभाल की प्रकृति में रचनात्मकता, प्रस्तुति और सामाजिक संपर्क बढ़ाता है। क्लाइंट, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी या प्रचार से जुड़े काम लाभ दे सकते हैं, यदि लाइफस्टाइल खर्च नियंत्रण में रहे।
रिश्ते: आज अपनापन व्यक्त करना आसान होगा। प्रशंसा, सुखद समय या गर्मजोशी भरी बातचीत महंगे इशारे के बिना भी सामंजस्य बढ़ा सकती है।
सावधानी: दिखावे के लिए खर्च, अधिक लिप्तता और लगातार प्रशंसा की अपेक्षा से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अनावश्यक खर्च के बजाय सोच-समझकर अभिव्यक्ति से खुशी बनाएं।

मूलांक 7
धन व करियर: दिन 3 आपकी गहरी सोच को ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। शोध, लेखन, शिक्षण या विशेष समझ साझा करने से पहचान मिल सकती है; तैयारी के पीछे छिपे न रहें।
रिश्ते: आप सतही बातचीत के बजाय गहराई पसंद कर सकते हैं। शुरुआत हल्की लगे तो भी पीछे हटने के बजाय एक सच्चा विचार साझा करें।
सावधानी: अत्यधिक सोच, कटाक्ष और उपयोगी विचार पूरी तरह अपने तक रखने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण समझ को स्पष्ट शब्द दें और सही व्यक्ति तक पहुंचाएं।

मूलांक 8
धन व करियर: दिन 3 आपकी महत्वाकांक्षी ऊर्जा को अधिक दिखाई देने और सहज संवाद करने को कहता है। प्रस्तुति, बातचीत या व्यवसायिक चर्चा तब आगे बढ़ेगी जब अधिकार के साथ प्रभावी संवाद भी हो।
रिश्ते: हल्का रवैया तनाव कम कर सकता है। गर्मजोशी और हास्य संवाद दोबारा खोल सकते हैं, लेकिन गंभीर प्रतिबद्धताओं पर स्पष्ट बात जरूरी है।
सावधानी: बढ़ा-चढ़ाकर बोलने, प्रतिष्ठा के खर्च और हर संबंध को लेन-देन की तरह देखने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक बड़ा लक्ष्य स्पष्ट बताएं और अपनी शक्ति को दूसरों के लिए सहयोग योग्य बनाएं।

मूलांक 9
धन व करियर: दिन 3 आपकी जोशीली प्रकृति को रचनात्मक और संवादपूर्ण दिशा देता है। ज्ञान साझा करें, अर्थपूर्ण काम को सामने लाएं या ऐसा प्रोजेक्ट पूरा करें जो दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाले।
रिश्ते: आज शब्द उपचार कर सकते हैं। प्रशंसा, क्षमा या सच्ची बातचीत पुरानी भावनात्मक दूरी कम कर सकती है।
सावधानी: नाटकीय प्रतिक्रिया, आवेग में उदारता और केवल भावनात्मक राहत के लिए पुराने घाव खोलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपने शब्दों से प्रेरणा दें, उपचार करें और एक महत्वपूर्ण विषय आगे बढ़ाएं।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

धार्मिक मंचों पर 'अश्लीलता' समाज और धर्म के लिए घातक

संतोष कुमार तिवारी

धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य भगवान के आदर्श चरित्र, भारतीय संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार होना चाहिए न कि भीड़ जुटाने के लिए अश्लील गीतों और नृत्यों का सहारा लेना। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं बल्कि अपनी परंपराओं और मर्यादाओं के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना है।

भारत विविध धर्मों, आस्थाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। यहां धर्म केवल पूजा-पाठ, कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक संस्कार, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की पद्धति का भी महत्वपूर्ण आधार रहा है। धार्मिक आयोजन सदियों से समाज को जोड़ने, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से परिचित कराने और लोगों को सदाचार की प्रेरणा देने का माध्यम रहे हैं। रामलीला, कृष्णलीला, रासलीला, देवी जागरण, श्रीमद्भागवत कथा और अन्य धार्मिक समारोह इसी सांस्कृतिक परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं।

लेकिन बदलते समय के साथ धार्मिक आयोजनों की प्रकृति में भी कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो गंभीर चिंतन का विषय हैं। कई स्थानों पर धार्मिक मंचों को आकर्षक बनाने और अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के नाम पर ऐसे गीतों और नृत्यों को शामिल किया जाने लगा है जिनका संबंधित धार्मिक प्रसंग, कथा या आध्यात्मिक संदेश से कोई सीधा संबंध नहीं होता। कुछ कार्यक्रमों में तो मनोरंजन के नाम पर मर्यादा की सीमाएं भी लांघ दी जाती हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य अब आस्था और संस्कारों का प्रसार करने के बजाय केवल दर्शकों की भीड़ जुटाना रह गया है?

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य लोगों को अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक विश्वासों का पालन करने, पूजा-अर्चना करने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना है। लेकिन किसी भी अधिकार के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जुड़ा होता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि उसके नाम पर कुछ भी किया जाए और परंपराओं की मूल भावना को ही पीछे छोड़ दिया जाए। धार्मिक आयोजनों में स्वतंत्रता के साथ मर्यादा, अनुशासन और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी आवश्यक हैं। विशेष रूप से उन कार्यक्रमों में, जहां देवी-देवताओं, महापुरुषों और धार्मिक ग्रंथों के प्रसंगों का मंचन किया जाता है, वहां प्रस्तुतियों की गरिमा बनाए रखना आयोजकों, कलाकारों और समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है।

धर्म के नाम पर होने वाला प्रत्येक आयोजन अपने आप में एक सामाजिक संदेश भी देता है। वहां उपस्थित लोग केवल मनोरंजन करने नहीं आते, बल्कि उनमें से अनेक लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की लीलाओं का दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में धार्मिक मंच से प्रस्तुत होने वाली प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव दर्शकों की सोच और भावनाओं पर पड़ सकता है। इसलिए धार्मिक मंचों की मर्यादा को बनाए रखना केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है।

आज धार्मिक आयोजनों के सामने एक बड़ी चुनौती यह दिखाई देती है कि कुछ आयोजक दर्शकों की संख्या को ही कार्यक्रम की सफलता का पैमाना मानने लगे हैं। उनका तर्क होता है कि यदि कार्यक्रम में मनोरंजन नहीं होगा, तो लोग नहीं आएंगे और आयोजन का आकर्षण कम हो जाएगा। इसी सोच के चलते धार्मिक कथा और प्रसंगों के बीच अनावश्यक गीत, नृत्य तथा ऐसी प्रस्तुतियां जोड़ दी जाती हैं, जिनका मूल आयोजन से कोई संबंध नहीं होता।

यहां विचार करने वाली बात यह है कि आखिर भीड़ जुटाना ही किसी धार्मिक कार्यक्रम की सफलता का अंतिम उद्देश्य कैसे बन गया? क्या किसी आयोजन की सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि वहां कितने लोग पहुंचे, या इस बात से कि वहां उपस्थित लोगों ने क्या सीखा, उन्हें क्या प्रेरणा मिली और वे अपने जीवन में कौन-से सकारात्मक बदलाव लेकर लौटे?

यदि किसी धार्मिक कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित हों, लेकिन वहां से उन्हें धर्म, नैतिकता, परिवार, समाज और मानवीय मूल्यों के संबंध में कोई सार्थक संदेश न मिले, तो ऐसे आयोजन की वास्तविक उपलब्धि पर विचार करना आवश्यक है। इसके विपरीत, यदि किसी कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोग आएं, लेकिन वे भगवान के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार में सुधार करने का संकल्प लें, तो वह आयोजन भी अपने उद्देश्य में सफल माना जा सकता है।

मनोरंजन अपने आप में गलत नहीं है। संगीत, नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समाज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब मनोरंजन के नाम पर किसी धार्मिक आयोजन की मूल भावना को ही गौण कर दिया जाए। धार्मिक कार्यक्रमों में आकर्षण होना चाहिए, लेकिन आकर्षण की तलाश में आस्था और मर्यादा से समझौता नहीं होना चाहिए।

रामलीला भारतीय लोकसंस्कृति की एक ऐसी परंपरा है, जिसने पीढ़ियों तक भगवान श्रीराम के आदर्श चरित्र, मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और धर्म के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया है। गांवों और कस्बों में आयोजित होने वाली रामलीला केवल एक नाटकीय प्रस्तुति नहीं होती, बल्कि यह धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

रामायण में राजा जनक को विद्वान, विवेकशील, न्यायप्रिय और उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनका व्यक्तित्व ज्ञान, वैराग्य और मर्यादा का प्रतीक है। उनके दरबार का प्रसंग भी उसी गरिमा और विद्वता को प्रदर्शित करने का अवसर होना चाहिए।

लेकिन कुछ रामलीला मंचों पर राजा जनक के दरबार का दृश्य प्रस्तुत करते समय हास्य के नाम पर ऐसी बातें जोड़ दी जाती हैं, जिनका मूल कथा से कोई सार्थक संबंध नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, दरबार में भीड़ बनाए रखने के लिए किसी पात्र से नाचने वाली को बुलाने जैसी बातें कहलवाई जाती हैं। यदि इस प्रकार के संवादों का उद्देश्य केवल दर्शकों को उत्तेजित करना या किसी नृत्य प्रस्तुति के लिए उत्सुक बनाना है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे राजा जनक के विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व और उस प्रसंग की गरिमा के साथ न्याय हो रहा है?

हास्य रामलीला का हिस्सा हो सकता है। लोकनाट्य में हास्य कलाकारों की भी अपनी भूमिका होती है। लेकिन हास्य और फूहड़ता के बीच अंतर समझना आवश्यक है। ऐसा हास्य, जो कथा को रोचक बनाए, सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य करे और दर्शकों को कोई सकारात्मक संदेश दे, स्वागतयोग्य है। इसके विपरीत, यदि हास्य का सहारा लेकर कथा की मूल भावना को कमजोर किया जाता है, तो उस पर विचार होना चाहिए।

यदि किसी प्रसंग में हास्य की आवश्यकता है, तो उसके लिए ऐसे संवाद और दृश्य तैयार किए जा सकते हैं, जो दर्शकों का मनोरंजन भी करें और धार्मिक कथा की मर्यादा भी बनाए रखें। राजा जनक जैसे आदर्श चरित्रों को केवल भीड़ जुटाने का साधन बना देना रामलीला की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप नहीं है।

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं भारतीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके व्यक्तित्व में प्रेम, करुणा, मित्रता, नीति, कर्तव्य, धर्म की स्थापना और जीवन के गहन संदेश समाहित हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में दिया गया उनका उपदेश आज भी मनुष्य को कर्म, कर्तव्य और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है।

इसी तरह राधा-कृष्ण की परंपरा में भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण की गहरी अनुभूति व्यक्त होती है। रासलीला का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इसी भावभूमि से जुड़ा हुआ है। इसे केवल नृत्य, गीत और दर्शकों के मनोरंजन तक सीमित कर देना इसके व्यापक धार्मिक अर्थ को संकुचित करना है।

आज कुछ स्थानों पर कृष्णलीला और रासलीला के नाम पर ऐसी प्रस्तुतियां देखने को मिलती हैं, जिनमें धार्मिक पात्रों की वेशभूषा तो धारण की जाती है, लेकिन उनके चरित्र, भाव और प्रसंग की गरिमा का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता। कुछ प्रस्तुतियों में अशोभनीय गीतों, द्विअर्थी संवादों और आपत्तिजनक नृत्य मुद्राओं को शामिल किया जाता है। ऐसी प्रस्तुतियां दर्शकों के सामने धार्मिक लीला की मूल भावना के बजाय उसका विकृत रूप प्रस्तुत कर सकती हैं।

यहां किसी कलाकार की आर्थिक स्थिति, पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत योग्यता का उपहास करना उचित नहीं होगा। कलाकार किसी भी क्षेत्र से हो सकता है और उसे अपनी कला के माध्यम से आजीविका अर्जित करने का अधिकार है। असली सवाल यह है कि धार्मिक पात्रों का अभिनय करने वाले कलाकारों को संबंधित कथा, पात्रों के चरित्र, संवादों की मर्यादा और प्रस्तुति के उद्देश्य के प्रति कितना संवेदनशील बनाया जा रहा है।

जो व्यक्ति भगवान श्रीकृष्ण, राधा या उनकी लीलाओं से जुड़े पात्रों का अभिनय करता है, उससे कम से कम यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वह उस प्रस्तुति की धार्मिक भावना को समझे और उसके अनुरूप अभिनय करे। इसी प्रकार आयोजकों को भी केवल कलाकारों की लोकप्रियता या नृत्य कौशल के आधार पर चयन करने के बजाय उनकी प्रस्तुति की विषयवस्तु और सांस्कृतिक उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए।

रासलीला का उद्देश्य राधा-कृष्ण की भक्ति परंपरा को जीवंत बनाए रखना है, न कि उनके नाम पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिनसे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हों या समाज में गलत संदेश जाए।

धार्मिक आयोजनों की एक विशेषता यह है कि उनमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठकर धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को रामलीला, कृष्णलीला और अन्य धार्मिक आयोजनों में इसलिए लेकर जाते हैं, ताकि वे अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आदर्शों को समझ सकें।

ऐसे वातावरण में प्रस्तुत होने वाले गीतों, संवादों और नृत्यों की



जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यदि किसी धार्मिक मंच पर अशोभनीय गीत या आपत्तिजनक प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं, तो इससे परिवार के लोगों को असहजता हो सकती है और बच्चों के सामने धार्मिक आयोजनों की जो सकारात्मक छवि बननी चाहिए, वह प्रभावित हो सकती है।

बच्चे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से सीखते हैं। वे केवल पुस्तकों से ही संस्कार ग्रहण नहीं करते, बल्कि अपने परिवार, समाज और सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखी गई चीजों से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि धार्मिक मंचों पर उन्हें ऐसे उदाहरण देखने को मिलें, जिनसे उनके मन में मर्यादा, सम्मान, संवेदनशीलता और अच्छे व्यवहार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो।

यह मान लेना उचित नहीं होगा कि किसी एक प्रस्तुति से प्रत्येक बच्चे या दर्शक पर समान प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, सार्वजनिक मंचों पर बार-बार प्रस्तुत होने वाली सामग्री सामाजिक सोच को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आयोजकों को यह विचार करना चाहिए कि वे अपने कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को कैसी सांस्कृतिक विरासत सौंप रहे हैं।

किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मंच पर क्या प्रस्तुत किया जाएगा, किन कलाकारों को बुलाया जाएगा, किस प्रकार के गीत बजेंगे और कथा के किन प्रसंगों का मंचन होगा, इन सभी विषयों में आयोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए धार्मिक मंचों की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सबसे पहले आयोजकों पर आती है।

यदि आयोजक पहले से ही स्पष्ट कर दें कि कार्यक्रम में केवल संबंधित धार्मिक प्रसंग, भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मर्यादित हास्य ही शामिल होंगे, तो अनावश्यक विवादों से काफी हद तक बचा जा सकता है। कलाकारों को भी प्रस्तुति से पहले कार्यक्रम की प्रकृति और अपेक्षित मर्यादाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।

आयोजकों को यह भी समझना होगा कि दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिए हर बार तेज संगीत, नृत्य या विवादास्पद प्रस्तुतियों का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। प्रभावशाली संवाद, उत्कृष्ट अभिनय, सुंदर मंच सज्जा, पारंपरिक संगीत, भावपूर्ण गायन और कथा की सजीव प्रस्तुति भी दर्शकों को आकर्षित कर सकती है।

यदि किसी आयोजन में रामायण के प्रसंगों का सटीक और भावपूर्ण मंचन किया जाए, भगवान श्रीराम के आदर्शों को सरल भाषा में समझाया जाए और सामाजिक जीवन से उनका संबंध बताया जाए, तो वह प्रस्तुति लंबे समय तक लोगों के मन में बनी रह सकती है। इसी प्रकार कृष्णलीला में भक्ति, प्रेम, करुणा, नीति और आध्यात्मिकता के पक्षों को प्रभावी ढंग से सामने लाया जा सकता है।

आयोजकों को कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन केवल भीड़ या आर्थिक संग्रह से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, सामाजिक प्रभाव और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर भी करना चाहिए।

कला और कलाकारों की स्वतंत्रता किसी भी जीवंत समाज के लिए आवश्यक है। नृत्य, संगीत, नाटक और मनोरंजन की विभिन्न विधाओं का अपना महत्व है। किसी भी कलाकार को केवल नृत्य करने या आधुनिक कला प्रस्तुत करने के कारण अनुचित ठहराना सही नहीं होगा। इसी तरह प्रत्येक नृत्य को अश्लील मान लेना भी उचित नहीं है।

वास्तविक अंतर प्रस्तुति की प्रकृति, उसके संदर्भ, गीतों के बोल, नृत्य की शैली और आयोजन के उद्देश्य से तय होता है। जो प्रस्तुति किसी सांस्कृतिक समारोह में उपयुक्त हो सकती है, वही प्रस्तुति किसी विशिष्ट धार्मिक प्रसंग के बीच असंगत भी लग सकती है। इसलिए प्रत्येक कला का मूल्यांकन उसके संदर्भ और मर्यादा के अनुसार होना चाहिए।

धार्मिक आयोजनों में भाग लेने वाले कलाकारों से अपेक्षा है कि वे संबंधित धार्मिक पात्रों की गरिमा और प्रस्तुति के उद्देश्य का सम्मान करें। वहीं आयोजकों को कलाकारों की कला का सम्मान करते हुए कार्यक्रम के लिए स्पष्ट और उचित मानदंड निर्धारित करने चाहिए। इसका अर्थ कलाकारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी धार्मिक कथा या पात्र के नाम पर ऐसी सामग्री न परोसी जाए, जिसका उस आयोजन की मूल भावना से कोई संबंध न हो। कला की स्वतंत्रता और धार्मिक मर्यादा के बीच संतुलन स्थापित करना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है।

धार्मिक समारोहों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे समाज के बड़े वर्ग तक एक साथ पहुंचते हैं। जहां एक ओर धार्मिक ग्रंथों और कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं मंचों से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता भी पैदा की जा सकती है।

रामलीला में सत्य, त्याग, कर्तव्य, न्याय, वचनबद्धता और पारिवारिक उत्तरदायित्व के संदेश को प्रमुखता दी जा सकती है। कृष्णलीला में प्रेम, मित्रता, नीति, करुणा और धर्म के पक्षों को सामने रखा जा सकता है। देवी जागरण में भक्ति के साथ नारी सम्मान, सेवा, सद्भाव और सामाजिक सहयोग का संदेश दिया जा सकता है।

यदि धार्मिक मंचों पर नशाखोरी, दहेज, सामाजिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति असम्मान, पर्यावरण प्रदूषण और अन्य सामाजिक समस्याओं पर भी मर्यादित एवं सार्थक संदेश दिए जाएं, तो इन आयोजनों का प्रभाव और व्यापक हो सकता है।

धार्मिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के तत्वों को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि मनोरंजन धार्मिक उद्देश्य के अनुरूप हो। संगीत हो, लेकिन भक्ति और सांस्कृतिक गरिमा के साथ; हास्य हो, लेकिन किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना; नृत्य हो, लेकिन प्रसंग और प्रस्तुति की प्रकृति के अनुरूप। इस प्रकार धार्मिक मंच लोगों के लिए केवल समय बिताने का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र बन सकते हैं।

धार्मिक आयोजनों की मर्यादा बनाए रखने के लिए केवल आयोजकों को दोष देना पर्याप्त नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका है। धार्मिक समितियां, स्थानीय नागरिक, विद्वान, कथावाचक, कलाकार, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन मिलकर इस दिशा में सार्थक पहल कर सकते हैं।

सबसे पहले प्रत्येक आयोजन समिति को कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करनी चाहिए। उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन-से धार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे, किस प्रकार का संगीत होगा और हास्य या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सीमा क्या होगी। कलाकारों के चयन में विषय की समझ, अभिनय की गुणवत्ता और धार्मिक पात्रों के प्रति सम्मान को महत्व दिया जाना चाहिए।

दूसरे, धार्मिक आयोजनों के लिए स्थानीय स्तर पर आचार-संहिता बनाई जा सकती है। इसमें अशोभनीय गीतों, आपत्तिजनक संवादों और कथा से असंबंधित प्रस्तुतियों से बचने के स्पष्ट प्रावधान हों। यदि किसी कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन होता है, तो पहले संवाद, समझाइश और आयोजन समिति की जवाबदेही के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित कानूनों और प्रशासनिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

तीसरे, दर्शकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि लोग केवल उत्तेजक या विवादास्पद प्रस्तुतियों को देखने के लिए उत्साहित होंगे और सार्थक धार्मिक मंचन के प्रति उदासीन रहेंगे, तो आयोजकों पर भीड़ जुटाने का दबाव बना रहेगा। दर्शकों को भी यह समझना होगा कि वे जिस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार की प्रस्तुतियों को भविष्य में बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है।

समाज में सकारात्मक बदलाव केवल आदेश देने से नहीं आता। इसके लिए सामूहिक जागरूकता, संवाद और जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता होती है। धार्मिक मंचों की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास भी इसी भावना से किया जाना चाहिए।

इस विषय पर चर्चा करते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है। धार्मिक मर्यादा की रक्षा का अर्थ किसी कलाकार, समुदाय या व्यक्ति का अपमान करना नहीं है। किसी की वेशभूषा, आर्थिक स्थिति या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर उसे नीचा दिखाना समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

किसी प्रस्तुति पर आपत्ति हो, तो उसकी विषयवस्तु, संवाद, गीत, नृत्य और धार्मिक प्रसंग से उसके संबंध के आधार पर बात की जानी चाहिए। असहमति को हिंसा, धमकी या अपमान का रूप नहीं लेना चाहिए। धार्मिक संवेदनशीलता के साथ दूसरों की गरिमा और कानून का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है।

इसी तरह किसी भी धार्मिक आयोजन के मूल्यांकन में निष्पक्षता होनी चाहिए। यदि किसी कार्यक्रम में अशोभनीय प्रस्तुति होती है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना उचित है, लेकिन बिना तथ्य जाने किसी व्यक्ति या पूरी मंडली को दोषी ठहराना सही नहीं होगा।

उद्देश्य किसी की कला या आजीविका को समाप्त करना नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों को उनकी मूल भावना के अनुरूप बनाए रखना होना चाहिए। जब संवाद और विवेक के आधार पर सुधार का रास्ता अपनाया जाएगा, तभी समाज में स्थायी सकारात्मक बदलाव संभव होगा।

किसी भी समाज की सांस्कृतिक विरासत एक दिन में तैयार नहीं होती। इसे पीढ़ियों ने अपने अनुभव, विश्वास, साहित्य, कला और जीवन मूल्यों के माध्यम से विकसित किया है। यही विरासत आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान से जोड़ती है।

यदि आज हम धार्मिक मंचों पर होने वाली हर गतिविधि को केवल मनोरंजन का विषय मानकर अनदेखा करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे धार्मिक आयोजनों के वास्तविक उद्देश्य के कमजोर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। जब किसी गलत परंपरा को बार-बार दोहराया जाता है, तो कुछ समय बाद लोग उसे सामान्य मानने लगते हैं। यही कारण है कि समय रहते सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। नई पीढ़ी को यह समझाना होगा कि धर्म केवल उत्सव मनाने, संगीत सुनने या मंचीय प्रदर्शन देखने का नाम नहीं है। धर्म के भीतर सत्य, करुणा, अनुशासन, सेवा, कर्तव्य, न्याय और आत्मसंयम जैसे मूल्य भी समाहित हैं। यदि धार्मिक आयोजनों से इन मूल्यों को अलग कर दिया जाए, तो उनकी सामाजिक उपयोगिता सीमित हो सकती है।

हमारे पूर्वजों ने रामलीला और रासलीला जैसी परंपराओं को केवल मनोरंजन के लिए जीवित नहीं रखा, बल्कि इनके माध्यम से धार्मिक कथाओं, सांस्कृतिक स्मृतियों और आदर्श चरित्रों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे पहुंचाया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन परंपराओं को समय के अनुरूप जीवंत बनाए रखें, लेकिन उनके मूल संदेश और गरिमा को कमजोर न होने दें।

धार्मिक आयोजन समाज की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। उनका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना, धार्मिक आस्था को मजबूत करना, भगवान के आदर्श चरित्र से प्रेरणा देना और समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार करना है। इन आयोजनों में संगीत, कला, हास्य और मनोरंजन के लिए भी स्थान हो सकता है, लेकिन इन सभी तत्वों का समावेश आयोजन की मूल भावना और मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए।

भीड़ जुटाने के लिए धार्मिक मंचों को अनावश्यक नृत्य, अशोभनीय गीतों और आपत्तिजनक संवादों का सहारा बनाना दूरदर्शी सोच नहीं है। किसी आयोजन की वास्तविक सफलता इस बात में है कि वहां उपस्थित व्यक्ति अपने साथ कोई अच्छी सीख, सकारात्मक विचार और जीवन में अपनाने योग्य संदेश लेकर लौटे।

राजा जनक की विद्वता, भगवान श्रीराम की मर्यादा, भगवान श्रीकृष्ण की नीति और राधा-कृष्ण की भक्ति परंपरा का मंचन करते समय उन पात्रों और प्रसंगों की गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है।

धार्मिक आयोजनों को मनोरंजन का विरोधी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मनोरंजन को मर्यादित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की जरूरत है। समाज के जिम्मेदार लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आयोजन समितियां अपनी जवाबदेही समझें, कलाकार धार्मिक प्रसंगों की भावना का सम्मान करें और दर्शक सार्थक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित करें। प्रशासन भी कानून के दायरे में आवश्यक सहयोग दे सकता है।

धर्म का मंच वह स्थान होना चाहिए, जहां मनोरंजन के साथ मन को सद्बुद्धि मिले, कथा के साथ जीवन की सीख मिले और आस्था के साथ संस्कारों को मजबूती मिले।

आखिरकार, धार्मिक स्वतंत्रता की सार्थकता केवल आयोजन करने की छूट में नहीं, बल्कि अपनी आस्था, संस्कृति और परंपराओं को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने में है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें, तो हमें आज ही यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक मंचों पर आस्था का सम्मान हो, कला की गरिमा बनी रहे और मनोरंजन के नाम पर मर्यादा की सीमाएं न लांघी जाएं। क्योंकि धार्मिक मंच पर प्रस्तुत होने वाला प्रत्येक दृश्य केवल कुछ क्षणों का मनोरंजन नहीं होता, वह समाज की सांस्कृतिक चेतना और आने वाली पीढ़ियों की सोच को दिशा देने वाला माध्यम भी बन सकता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सभी विभाग गंभीरता से करें कार्य : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश *रोड डस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई*





डीसी ने दिए निर्देश- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान के साथ किए जाएं इंपाउंड, होटल व ढाबों पर तंदूर से होने वाले प्रदूषण पर भी रखें नजर

डीसी की जनता से अपील-कचरा न जलाएं, निर्माण सामग्री ढककर रखें और प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 27 अक्टूबर

वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए डीसी वर्षा खांगवाल ने सभी संबंधित विभागों को गंभीरता से कार्य करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी करते हुए ठोस कार्रवाई करें।

डीसी ने निर्देश दिए कि सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। रोड डस्ट वाले क्षेत्रों की पहचान कर नियमित आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव तथा धूल नियंत्रण के अन्य उपाय सुनिश्चित किए जाएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान किए जाएं और कचरे के अनुचित निस्तारण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण, उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश

डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण स्थलों की नियमित साइट विजिट करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। निर्माण सामग्री को ढक कर रखने, धूल नियंत्रण के उपाय अपनाने तथा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करने की जांच की जाए। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान और इंपाउंडिंग सुनिश्चित करें

डीसी ने यातायात और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर उनके चालान किए जाएं। आवश्यक कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे वाहनों को इंपाउंड करने की कार्रवाई भी की जाए। वाहन प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित जांच और निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

होटल और ढाबों में तंदूर से होने वाले प्रदूषण पर भी नजर रखें

डीसी ने होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तंदूर के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि तंदूर और ईंधन का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप हो तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। डीसी ने कहा कि झज्जर जिला में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी यदि कूड़ा करकट जलता है तो सम्बन्धित सरपंच जिम्मेदार होंगे।

डीसी की अपील-प्रदूषण रोकने में निभाएं अपनी जिम्मेदारी

डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन से अपील की कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें और पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कूड़ा-कचरा और पत्तियां खुले में न जलाएं, कचरे का उचित निस्तारण करें, निर्माण सामग्री को ढक कर रखें और अनावश्यक धूल उड़ने से रोकने में सहयोग दें। वाहन चालकों से अपील है कि अपने वाहनों की नियमित सर्विसिंग कराएं और प्रदूषण संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करें। होटल, ढाबा संचालक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रदूषण नियंत्रण नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। जनसहभागिता और विभागीय समन्वय से ही स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। सभी नागरिक नियमों का पालन करें और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

किसानों को बीज उपलब्ध करवाने के लिए बिक्री केंद्र पर वितरण जारी





झज्जर स्थित किसान सदन केंद्र पर पहुंच रहे किसानों को नियमित मिल रहा गेहूं का बीज

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 27 अक्टूबर

जिला मुख्यालय पर हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्र पर किसानों को नियम अनुसार बीज वितरण का कार्य प्रभावी रूप से जारी है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसएमएस डॉ. देवेंद्र ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि गेहूं के बीज की जिला में कोई कमी नहीं है। किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बीज वितरण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है।

एसएमएस डॉ. देवेंद्र ने बताया कि बिक्री केंद्र पर गत 21 सितंबर से बीज वितरण किया जा रहा है। केंद्र पर किसानों के लिए नौ किस्मों का बीज उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अधिक बीज प्राप्त हुआ, जिसमें से किसानों को नियमानुसार वितरित किया जा चुका है। फिलहाल उपलब्ध स्टॉक में से 310.80 क्विंटल बीज शेष हैं, जिसका वितरण भी नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि किसानों को बीज उपलब्ध करवाने के लिए वितरण प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बिक्री केंद्र पर पहुंचकर बीज प्राप्त कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए समय पर बीज उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से बिक्री केंद्र पर बीज वितरण की व्यवस्था निर्धारित प्रक्रिया के तहत संचालित की जा रही है।

मधुमक्खी पालकों को बागवानी बीमा योजना से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा : डीसी

प्रति मधुमक्खी पालक 250 कॉलोनियों और बक्सों तक बीमा का लाभ, 50 रुपये प्रति कॉलोनी व बॉक्स निर्धारित किया गया शुल्क

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 27 अक्टूबर।

राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े किसानों और उद्यमियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दायरे में शामिल किया है। इससे मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य निर्धारित परिस्थितियों में होने वाले नुकसान से आर्थिक राहत मिल सकेगी। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि यह पहल मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने और किसानों की आय को सुरक्षित बनाने में सहायक होगी।

डीसी ने बताया कि योजना के तहत बाढ़ के कारण मधुमक्खियों की कॉलोनियों और बक्सों के पानी में डूबने, आग लगने से नुकसान होने तथा परिवहन के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति को बीमा कवर में शामिल किया गया है। परिवहन के दौरान दुर्घटना का बीमा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि दुर्घटना हरियाणा राज्य के भीतर हुई हो और उसके संबंध में आधिकारिक एफआईआर या डीडीआर दर्ज कराई गई हो। इसके अलावा, मधुमक्खियों में महामारी के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में भी योजना के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रति कॉलोनी और बॉक्स के लिए 50 रुपये बीमा शुल्क

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रति मधुमक्खी पालक अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियों और बक्सों की सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए मधुमक्खी पालकों का भावांतर भरपाई योजना-शहद के तहत पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही, प्रत्येक बॉक्स पर भावांतर भरपाई योजना का यूनिट नंबर देना भी जरूरी है।



उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति कॉलोनी 50 रुपये और प्रति बॉक्स 50 रुपये बीमा शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बदले में पात्र मधुमक्खी पालकों को प्रति कॉलोनी 1,250 रुपये और प्रति बॉक्स 1,250 रुपये की बीमा राशि का प्रावधान है। अधिकतम बीमा राशि निर्धारित पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार प्रति कॉलोनी तथा प्रति बॉक्स 3,12,500 रुपये तक हो सकती है।

मधुमक्खी पालन किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम

डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला के मधुमक्खी पालकों से आह्वान किया कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पंजीकरण और औपचारिकताएं समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार की योजनाओं से व्यवसाय में संभावित जोखिमों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए मधुमक्खी पालक जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय झज्जर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्यान विभाग, हरियाणा के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, भूमि, निर्माण और रखरखाव से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा करें अधिकारी : एसपी सिद्धान्त जैन

पुलिस अधीक्षक हिसार ने भूमि संबंधी मामलों, भवन निर्माण एवं रखरखाव तथा पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की; संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहने के सख्त निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज



हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा)। पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन, आईपीएस ने आज अपने कार्यालय में प्रशासनिक विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में भूमि संबंधी मामलों, भवनों के निर्माण एवं रखरखाव, पुलिस लाइन तथा पुलिस परिसरों में आवश्यक व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसपी हिसार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करने, लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में डीएसपी अग्रोहा श्री किशोरी लाल (एचपीएचसी) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, लाइन ऑफिसर, सीडीआई, टीएएसआई, प्रवाचक, एसी-1 तथा सभी थानों, पुलिस चौकियों, डीपीओ, पुलिस लाइन और क्राइम यूनिटों के केयरटेकर एवं सभी पर्यवेक्षण अधिकारीयों के केयर टेकर उपस्थित रहे।

भूमि और निर्माण संबंधी मामलों में रखें स्पष्टता

एसपी हिसार ने भूमि से संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित और अद्यतन रखा जाए। निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों में आवश्यक औपचारिकताओं, कार्य की प्रगति और निर्धारित मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवनों के रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान

पुलिस कार्यालयों, पुलिस लाइन, थानों, चौकियों और अन्य पुलिस परिसरों में भवनों की स्थिति, साफ-सफाई, बिजली-पानी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। एसपी हिसार ने कहा कि



पुलिस परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों और वहां आने वाले नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। भवनों के रखरखाव से संबंधित समस्याओं को समय रहते चिन्हित कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति रहें जवाबदेह

एसपी हिसार ने सभी केयरटेकरों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन आने वाले कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा लंबित मामलों की प्रगति से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध करवाएं। प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बनाए रखने, रिकॉर्ड दुरुस्त रखने और समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाए। कार्यों में अनावश्यक देरी, लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।

हिसार पुलिस का उद्देश्य पुलिस परिसरों में बेहतर सुविधाएं, सुव्यवस्थित प्रशासन और जवाबदेह कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है, ताकि पुलिसकर्मी बेहतर वातावरण में कार्य कर सकें और आमजन को प्रभावी पुलिस सेवाएं मिलें।

विद्यालयों में रेबीज जागरूकता अभियान संचालित

खूंटी: उपायुक्त मो० जावेद हुसैन के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न विद्यालयों में रेबीज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विद्यार्थियों को रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण, संक्रमण के खतरे तथा इससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इस दौरान बच्चों को बताया जा रहा है कि रेबीज एक गंभीर बीमारी है, जो संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने से फैल सकती है। कुत्ते या अन्य संदिग्ध पशु के काटने अथवा खरोंचने पर घाव को तत्काल साबुन और बहते पानी से कम-से-कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए तथा बिना देर किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। साथ ही, चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटी-रेबीज टीका एवं आवश्यक उपचार कराना जरूरी है।



देश को जानो ,प्यार करो और विकास की राह पर ले चलो:-प्रो योगेश सिंह

रिपोर्ट डा मनोज कैन



दिल्ली विश्वविद्यालय में 'युवा संगम' फेज-7 के तहत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु के छात्रों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया।

उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सेतु का निर्माण करने वाले विशेष कार्यक्रम के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में एक गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.योगेश सिंह ने छात्रों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रनिर्माण की अलख जगाई। उन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन में युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश को प्यार करे, उसे गहराई से जाने और हर संभव तरीके से विकास की राह पर आगे ले जाएं। कुलपति ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कोई भी कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं होता, बल्कि यह वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों के बीच भावनाओं का एक अनूठा संगम होता है।

इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मिलन के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रो.बलराम पाणी, डीन प्लानिंग प्रो. निरंजन कुमार, नॉन-कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड की निदेशक प्रो.गीता भट्ट गांधी भवन के संयुक्त निदेशक प्रो हंसराज सुमन और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य समेत कई वरिष्ठ शिक्षाविद उपस्थित रहे।

इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों और प्राचार्यों ने दोनों राज्यों के युवाओं के बीच इस शैक्षणिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ाने वाले प्रयास की भूरि-भूरि सराहना की और छात्रों का उत्साहवर्धन किया।

इस पूरे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते हुए नोडल ऑफिसर प्रो के पी सिंह ने इस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया।

इस सांस्कृतिक शैक्षणिक विनिमय आयोजन को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना का मूल आधार बताया।उन्होंने कहा कि यह महज एक यात्रा नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है।

समारोह के समापन सत्र में एआईसीटीई की सदस्य सचिव एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सचिव प्रो.श्यामा रथ ने मंच से उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, प्राध्यापकों और तमिलनाडु से आए प्रतिभागी छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

इस आयोजन में एआईसीटीई के निदेशक नरेश ग्रोवर; प्राचार्या प्रो भावना पांडे, प्रो.विजया लक्ष्मी पंडित, प्रो.गुरमोहिंदर सिंह, प्रो.नचिकेता उपस्थित रहे।

यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

संचालन प्रो.चारू कालरा ने किया। कार्यक्रम में प्रो मनोज कुमार कैन, डॉ मनीष कुमार, डॉ जयंती, डॉ अनिरुद्ध कुमार सुधांशु, डॉ आलोक रंजन, डॉ जैनेंद्र कुमार आदि की उपस्थिति भी रही।

प्रयागराज में TGT-PGT अभ्यर्थियों का बड़ा और उग्र प्रदर्शन - बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय में घुसे

सैकड़ों छात्र चार लेयर बैरिकेडिंग हटाकर परिसर में ज़बरदस्ती घुसे, पुलिस से धक्का-मुक्की, भर्ती में पुराने नियम लागू करने की मांग पर अड़े

विशेष संवाददाता प्रयागराज परिवहन विशेष शिक्षा ब्यूरो



तथ्य - क्या हुआ? अभ्यर्थी पीले लोहे के बैरिकेड को खींचकर गिरा रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, धक्का-मुक्की हो रही है। यह घटना आज मंगलवार 27 अक्टूबर दोपहर की है।

- **स्थान:** शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज (UP Education Directorate)
- **समय:** सोमवार 26 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से धरना शुरू, मंगलवार को उग्रहुआ।
- **भीड़:** सैकड़ों की संख्या में TGT-PGT अभ्यर्थी, जिनमें युवतियां भी शामिल।
- **पुलिस व्यवस्था:** 4 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसे अभ्यर्थियों ने बलपूर्वक तोड़ दिया। मौके पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

मुख्य बिंदु - अभ्यर्थी क्यों भड़के?

1. **पुरानी नियमावली की मांग:** उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 17 हजार से अधिक पदों पर नई नियमावली के तहत विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इससे लाखों योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे।

2. विशिष्ट मांगें:
- पुरानी नियमावली बहाल करो, एक अवसर दो
- प्राविधिक कला (Technical Art) को शामिल करो
- स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता हटाओ
- एकल विषय (Single Subject) वालों को मौका दो
- BFA/MFA, TET, http://B.Ed/Non-B.Ed विसंगतियां दूर करो

3. आक्रोश का कारण: 19 दिनों के पिछले आंदोलन में सरकार ने मौखिक आश्वासन दिया था कि पुरानी नियमावली पर अवसर देंगे, पर लिखित शासनादेश (GO) आज तक जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पक्ष में कहा था, फिर भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं - आंदोलनकारी आशुतोष पांडेय का आरोप।

4. **नारा: "जब तक लिखित आदेश नहीं, तब तक घर नहीं लौटेंगे।"**

संपादकीय विश्लेषण: यह केवल भर्ती का मुद्दा नहीं, उत्तर प्रदेश के लाखों http://B.Ed, BA, कला वर्ग के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। प्रयागराज जो प्रतियोगी छात्रों की राजधानी है, वहाँ शिक्षा निदेशालय का घेराव एक संकेत है कि संवादहीनता बढ़ रही है। पुलिस से बैरिकेडिंग तोड़ना कानूनन उचित नहीं, पर 24 घंटे तक अधिकारियों का वार्ता के लिए न आना भी प्रशासनिक उदासीनता दर्शाता है।

परिवहन विशेष की अपील: शासन को तुरंत लिखित स्पष्टीकरण जारी कर छात्रों के भविष्य को अधर में लटकने से बचाना चाहिए।

बोनाई वन मंडल में वन विभाग का विशेष अभियान, ड्रोन से तलाशे जा रहे गांजा और अफीम के अवैध खेत

दुर्गम वन क्षेत्रों में मादक पदार्थों की खेती पर शिकंजा कसने की तैयारी, आधुनिक तकनीक से निगरानी तेज

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र बोनाई/सुंदरगढ़



ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बोनाई वन मंडल में मादक पदार्थों की अवैध खेती के खिलाफ वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। वन क्षेत्रों में छिपकर की जा रही गांजा और अफीम की खेती का पता लगाने के लिए अब ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम और घने जंगलों में स्थित ऐसे स्थानों की पहचान करना है, जहां तक सामान्य निगरानी दलों की पहुंच कठिन होती है।

वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से जंगलों के भीतर संदिग्ध स्थानों की तस्वीरें और दृश्य जुटाकर संभावित अवैध खेती वाले क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे वन विभाग को उन इलाकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, जहां पारंपरिक तरीके से निरीक्षण करना चुनौतीपूर्ण है।

जंगलों के भीतर मादक पदार्थों की खेती न केवल कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्या है, बल्कि इससे वन भूमि के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। ऐसी गतिविधियों की समय रहते पहचान करना वन संरक्षण और अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से निगरानी अभियान को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है। हालांकि, अभियान की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संदिग्ध स्थानों की पहचान के बाद कितनी तेजी से सत्यापन, कार्रवाई और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

वन क्षेत्रों में अवैध खेती के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए वन विभाग, पुलिस और संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय भी महत्वपूर्ण होगा। ड्रोन निगरानी की यह पहल दुर्गम इलाकों में छिपी अवैध गतिविधियों का पता लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

जोल्डा सी ब्लॉक में कथित बड़े जुआ अड्डे का खुलासा!



वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, कब्रिस्तान के तालाब के पास रातभर लाखों के दांव लगने का दावा

शाम से सुबह तक चलता है कथित जुए का खेल, पुलिस की निगरानी और कार्रवाई पर उठे सवाल

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

रघुनाथपाली थाना क्षेत्र के जोल्डा सी ब्लॉक में कथित रूप से संचालित एक बड़े जुआ अड्डे को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय सूत्रों के दावों पर भरोसा करें तो कब्रिस्तान के तालाब के पास एक गुप्त ठिकाने पर रातभर जुए का खेल चलता है, जहां लाखों रुपये के दांव लगाए जाने की बात कही जा रही है।

स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, कथित जुआ अड्डे पर शाम ढलते ही लोगों का जुटना शुरू हो जाता है। आरोप है कि यह गतिविधि देर रात से आगे बढ़कर सुबह करीब पांच बजे तक जारी रहती है। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन 60 से 70 लोगों के यहां पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बताया जाता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए मोबाइल फोन की मंद रोशनी में जुए के दांव लगाए जाते हैं।

इस मामले में चरकु, राजू और इंदर नामक व्यक्तियों को कथित तौर पर अड्डे के संचालन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इन व्यक्तियों की भूमिका और वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जांच के बिना किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

सबसे बड़ा सवाल पुलिस की सक्रियता और सूचना तंत्र पर है। यदि वायरल वीडियो और स्थानीय शिकायतों में तथ्य हैं, तो क्या पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है? क्या वीडियो की जांच कर संबंधित स्थान की पहचान और कथित गतिविधियों का सत्यापन किया गया है? इन सवालों का जवाब कार्रवाई से ही मिल सकता है।

जुए जैसी गतिविधियां कई परिवारों को आर्थिक संकट की ओर धकेल सकती हैं। इसलिए मामला केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय भी है।

अब पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को स्पष्ट करे और अवैध गतिविधि की पुष्टि होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे। सवाल सीधा है—यदि रातभर यह खेल चलने के दावे सही हैं, तो जिम्मेदार तंत्र की नजर अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी?

न्याय की बाट जोहती आदिवासी पीड़िताएं: छह वर्षों में दोषसिद्धि के महज चार मामले!

सुंदरगढ़ में एससी-एसटी अत्याचार के मामलों की सुनवाई पर सवाल विशेष लोक अभियोजक की कमी से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने का दावा

विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने खोली व्यवस्था की हकीकत; सुंदरगढ़, राउरकेला और रेलवे पुलिस जिलों में सैकड़ों मामले लंबित

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला:



आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के पीड़ितों को न्याय मिलने में हो रही देरी ने न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से सितंबर 2026 तक के मामलों में दोषसिद्धि की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। उपलब्ध विवरण में सुंदरगढ़, राउरकेला और राउरकेला रेलवे पुलिस जिलों में दर्ज मामलों की जांच, आरोपपत्र दाखिल करने और अदालतों में सुनवाई की धीमी रफ्तार सामने आई है।

इस स्थिति की एक प्रमुख वजह के रूप में विशेष अदालतों में विशेष लोक अभियोजक की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया है। यदि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, तो पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का सरकारी संकल्प सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है।

सुंदरगढ़ में मामलों का बड़ा बोझ सुंदरगढ़ पुलिस जिले में वर्ष 2021 में एससी-एसटी अत्याचार से संबंधित 67 मामले दर्ज हुए। इनमें 55 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया, जबकि 12 मामलों का अदालत में निपटारा हुआ और तीन मामलों में दोषसिद्धि हुई। इसके बावजूद 40 मामले लंबित रहे।

वर्ष 2022 में 79 मामले दर्ज हुए और 51 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। 14 मामलों का निपटारा हुआ, लेकिन किसी मामले में दोषसिद्धि नहीं हुई। वर्ष 2023 में दर्ज 64 मामलों में से 39 में आरोपपत्र दाखिल हुए और पांच मामलों का निपटारा हुआ, जबकि 34 मामले लंबित रहे।

वर्ष 2024 में 39 तथा 2025 में 56 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2026 में सितंबर तक 31 मामले सामने आए। इनमें नौ मामलों में आरोपपत्र दाखिल होने की जानकारी दी गई है, जबकि कई मामले जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया में हैं।

राउरकेला में भी धीमी कार्रवाई राउरकेला पुलिस जिले में वर्ष 2021 में 36 मामले दर्ज हुए। 32 में आरोपपत्र दाखिल किए गए और आठ मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें एक में दोषसिद्धि हुई। वर्ष 2022 में 38 मामले दर्ज हुए और 31 में आरोपपत्र दाखिल किए गए, जबकि 23 मामले लंबित रहे।

वर्ष 2023 में 34 मामलों में से 26 में आरोपपत्र दाखिल हुए। पांच मामलों का निपटारा हुआ और 21 लंबित रहे। वर्ष 2024 में 29 मामले दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2025 में 28 मामले सामने आए। वर्ष 2026 में सितंबर तक दर्ज 11 मामलों में केवल एक का आरोपपत्र दाखिल हुआ और नौ मामलों में जांच जारी बताई गई है।

रेलवे पुलिस जिले में भी लंबित मामले राउरकेला रेलवे पुलिस जिले में भी इन मामलों की संख्या कम होने के बावजूद कार्रवाई और सुनवाई की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, वर्ष 2023 में दो मामलों में से एक में आरोपपत्र दाखिल हुआ। वर्ष 2024 में दो मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए और दो मामले अदालत में लंबित बताए गए। वर्ष 2025 में एक मामले में आरोपपत्र दाखिल हुआ, जो लंबित रहा। सितंबर 2026 तक एक मामले में जांच जारी थी और दूसरा विचाराधीन बताया गया।

सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, न्याय की जवाबदेही का है इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मामले दर्ज होना और आरोपपत्र दाखिल करना अपने आप में न्याय सुनिश्चित नहीं करता। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच, प्रभावी अभियोजन, गवाहों की सुरक्षा और समयबद्ध सुनवाई भी उतनी ही आवश्यक है।

आदिवासी एवं दलित समुदायों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में विशेष अदालतों और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था प्रभावी होना अनिवार्य है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अभियोजकों की नियुक्ति में कमी कहां है, लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्या समयसीमा तय की गई है और पीड़ितों को कानूनी सहायता किस प्रकार उपलब्ध कराई जा रही है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब न्याय की संवैधानिक गारंटी सभी नागरिकों के लिए समान है, तो कमजोर और वंचित समुदायों के पीड़ितों को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़े?

खेतों में मेहनत, हक़ों में पीछे: महिला किसानों की अनकही कहानी





● डॉ. विजय गर्ग

कई क्षेत्रों में पुरुष रोजगार की तलाश में शहरों या दूसरे राज्यों की ओर चले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएँ खेतों और परिवार की दोहरी जिम्मेदारियाँ संभालती हैं। वे बुवाई, सिंचाई, मजदूरों और पशुओं की देखभाल से जुड़े निर्णय भी लेती हैं, लेकिन इसके साथ घर का बिना वेतन वाला काम भी करती रहती हैं। इतनी जिम्मेदारियाँ निभाने के बावजूद, 'किसान' शब्द का संबंध अक्सर पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है। पहचान की यह कमी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भूमि अभिलेखों, बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं, फसल बीमा और कृषि प्रशिक्षण तक उनकी पहुँच को भी प्रभावित कर सकती है।

कृषि को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और किसानों को देश का पेट भरने वाला अन्नदाता माना जाता है। लेकिन खेतों में काम करते किसान की आम तस्वीर के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई है, जिस पर अक्सर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लाखों महिलाएँ कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी उन्हें पहचान, भूमि के स्वामित्व, निर्णय लेने के अधिकार और समान अवसर प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे बीज बोती हैं, पौधों की रोपाई करती हैं, खरपतवार निकालती हैं, फसल काटती हैं, पशुओं की देखभाल करती हैं और घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद अनेक महिला किसान कृषि नीतियों, वित्तीय सहायता और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में हाशिये पर रह जाती हैं।

उनकी कहानी केवल मेहनत की कहानी नहीं है, बल्कि उनके योगदान और उन्हें मिलने वाले अधिकारों, संसाधनों तथा सम्मान के बीच मौजूद अंतर की कहानी भी है।

कृषि की अनदेखी आधारशिला हैं महिलाएँ

महिलाएँ कृषि उत्पादन के लगभग हर चरण में भागीदारी निभाती हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वे खेत तैयार करने, बीज बोने, धान की रोपाई करने, खरपतवार निकालने, फसल काटने, अनाज का भंडारण करने और पशुओं की देखभाल करने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त, वे डेयरी व्यवसाय, मुर्गीपालन, घरेलू बागवानी, बीज संरक्षण और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कई क्षेत्रों में पुरुष रोजगार की तलाश में शहरों या दूसरे राज्यों की ओर चले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएँ खेतों और परिवार की दोहरी जिम्मेदारियाँ संभालती हैं। वे बुवाई, सिंचाई, मजदूरों और पशुओं की देखभाल से जुड़े निर्णय भी लेती हैं, लेकिन इसके साथ घर का बिना वेतन वाला काम भी करती रहती हैं।

इतनी जिम्मेदारियाँ निभाने के बावजूद, 'किसान' शब्द का संबंध अक्सर पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है। पारिवारिक खेतों में काम करने वाली महिलाओं को कई बार स्वतंत्र किसान मानने के बजाय केवल सहायक समझा जाता है। पहचान की यह कमी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भूमि अभिलेखों, बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं, फसल बीमा और कृषि प्रशिक्षण तक उनकी पहुँच को भी प्रभावित कर सकती है।

भूमि के स्वामित्व की चुनौती

महिला किसानों के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कृषि भूमि का स्वामित्व और उस पर नियंत्रण न होना है। अनेक परिवारों में भूमि पुरुष रिश्तेदारों के नाम पर विरासत में मिलती है या उन्हीं के नाम पर दर्ज होती है। महिलाएँ दशकों तक उसी भूमि पर काम करती रहती हैं, लेकिन उनके नाम मालिक या मान्यता प्राप्त किसान के रूप में दर्ज नहीं होते।

औपचारिक भूमि अधिकारों के अभाव में महिलाओं को कृषि ऋण लेने, फसल बीमा करवाने, फसल नष्ट होने पर मुआवजा प्राप्त करने और कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, भूमि के उपयोग, निवेश और खेती के भविष्य से जुड़े दीर्घकालीन निर्णयों में भी उनकी भूमिका सीमित रह सकती है।

भारत में महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन जागरूकता की कमी, सामाजिक परंपराएँ, पारिवारिक दबाव और व्यावहारिक कठिनाइयाँ अनेक महिलाओं को अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोक सकती हैं। इसलिए समस्या केवल कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकारों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच मौजूद अंतर भी है।

महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देने का अर्थ केवल उनकी मेहनत को स्वीकार करना नहीं है। इसके लिए भूमि के स्वामित्व, किरायेदारी के अधिकारों और स्वतंत्र कृषि संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक संसाधनों तक उनकी वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करनी होगी।

खेत और घर की दोहरी जिम्मेदारी

महिला किसानों को अक्सर दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। उनका दिन सूर्योदय से पहले खाना बनाने, पानी लाने, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने और घरेलू कामों से शुरू हो सकता है। इसके बाद वे कई घंटे खेतों में काम करती हैं और घर लौटकर खाना बनाने, सफाई करने, बच्चों की देखभाल तथा बुजुर्गों की सेवा जैसी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं।

घर और परिवार की देखभाल से जुड़ा यह बहुत-सा काम बिना वेतन के होता है और आर्थिक उत्पादकता के पारंपरिक मापदंडों में इसकी पूरी



गणना नहीं की जाती। परिणामस्वरूप, परिवार के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के कुल योगदान का अक्सर कम आकलन किया जाता है।

जहाँ स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, बिजली, बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, वहाँ यह बोझ और बढ़ जाता है। कृषि के व्यस्त मौसम में महिलाओं को तेज धूप में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इस दौरान वे गर्मी, कीटनाशकों, धूल और शारीरिक रूप से थका देने वाले कार्यों के संपर्क में भी आती हैं।

उनके योगदान को उचित मान्यता देने के लिए कामकाज की परिस्थितियों में सुधार, शारीरिक श्रम का बोझ कम करना और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना जरूरी है।

ऋण, तकनीक और प्रशिक्षण तक असमान पहुँच

आधुनिक कृषि में उन्नत बीजों, सिंचाई, मशीनीकरण, डिजिटल जानकारी, बाजार संबंधी सूचनाओं और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन भूमि के स्वामित्व की कमी, आर्थिक बाधाओं, आवागमन संबंधी प्रतिबंधों और औपचारिक कृषि नेटवर्क से दूर रहने के कारण महिला किसानों को इन संसाधनों तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है।

जिन महिलाओं के पास भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज या अन्य आवश्यक जमानत नहीं होती, उनके लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना कठिन हो सकता है। कृषि विभागों के प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम कई बार पुरुष किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों, असुविधाजनक समय और परिवहन की कमी के कारण महिलाओं के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेना भी मुश्किल हो सकता है।

डिजिटल सुविधाओं की कमी एक अन्य बाधा है। मौसम का पूर्वानुमान जानने, फसलों की बीमारियों की जानकारी प्राप्त करने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और मंडियों के भाव जानने के लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता का महत्त्व बढ़ रहा है। जिन महिलाओं के पास इन साधनों तक स्वतंत्र पहुँच नहीं होती, वे अनेक उपयोगी अवसरों से वंचित रह सकती हैं।

महिलाओं को सस्ते ऋण, कृषि मशीनरी, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं और कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन तक समान पहुँच मिलनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय और तरीका ऐसा होना चाहिए, जो महिलाओं की वास्तविक जरूरतों और कामकाज की परिस्थितियों के अनुकूल हो।

मजदूरी, बाजार और निर्णय लेने का अधिकार

महिला कृषि मजदूरों को कई बार कम मजदूरी, अस्थिर रोजगार और अपने अधिकारों के लिए बातचीत करने की सीमित क्षमता का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं की सीमा क्षेत्र, काम के प्रकार और कृषि पद्धतियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता अब भी चिंता का विषय है।

महिलाएँ फसल उत्पादन में बड़ा योगदान देती हैं, फिर भी खेती से होने वाली आय पर उनका नियंत्रण सीमित हो सकता है। कौन-सी फसल बोई जाए, उपज कब बेची जाए, कमाई का उपयोग कैसे किया जाए और मशीनरी में निवेश किया जाए या नहीं—ऐसे निर्णयों में कई बार पुरुष परिवार के सदस्यों का अधिक प्रभाव होता है।

कई किसान संगठनों, सहकारी समितियों, कृषि समितियों और नेतृत्व के पदों पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। इन संस्थाओं में उनकी आवाज मजबूत नहीं होने के कारण नीतियाँ और विकास कार्यक्रम तैयार करते समय उनकी जरूरतों को पर्याप्त महत्त्व नहीं मिल पाता।

किसान संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक कंपनियों और स्थानीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से उनकी सौदेबाजी की क्षमता और कृषि नीतियों को प्रभावित करने की शक्ति बढ़ सकती है।

महिला किसान और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, बढ़ता तापमान, मिट्टी का क्षरण और कीटों के बदलते प्रकोप फसल उत्पादन तथा ग्रामीण आजीविका के लिए खतरा बन रहे हैं।

महिला किसानों को सीमित वित्तीय बचत, भूमि पर असुरक्षित अधिकारों और बीमा, सिंचाई तकनीक तथा औपचारिक सहायता प्रणालियों तक सीमित पहुँच के कारण अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब फसल खराब होती है, तो उन्हें कम संसाधनों के साथ भोजन की कमी, घरेलू खर्च और परिवार की देखभाल जैसी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं।

इसके साथ ही, महिलाओं के पास बीजों, मिट्टी, पशुपालन, खाद्य संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता से संबंधित बहुमूल्य पारंपरिक ज्ञान होता है। इस ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ जोड़कर कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

महिलाओं को जलवायु अनुकूलन योजनाओं, जल प्रबंधन समितियों, बीज बैंकों, आपदा तैयारी कार्यक्रमों और कृषि अनुसंधान में शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें केवल सहायता प्राप्त करने वाली लाभार्थियों के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञानवान और सक्षम निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए।

समानता की दिशा में व्यावहारिक कदम

महिला किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, कृषि संगठनों और ग्रामीण समुदायों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं।

1. भूमि अधिकार मजबूत करें: जहाँ उचित हो, संयुक्त भूमि स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाए। उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और भूमि पंजीकरण तथा किरायेदारी के दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया महिलाओं के लिए सरल बनाई जाए।

2. वित्तीय सुविधाओं में सुधार करें: महिला किसानों के लिए उपयुक्त ऋण, फसल बीमा, बचत के अवसर और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।

3. जरूरतों के अनुरूप कृषि प्रशिक्षण दें: महिलाओं को आधुनिक खेती, मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कीट प्रबंधन, मशीनीकरण और जलवायु-अनुकूल कृषि के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।

4. महिला समूहों को मजबूत करें: स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि बाजार, भंडारण, प्रसंस्करण और उचित मूल्य तक उनकी पहुँच बढ़ सके।

5. महिलाओं के काम को मान्यता दें: कृषि संबंधी आँकड़ों में लिंग के आधार पर जानकारी एकत्र की जाए तथा सरकारी अभिलेखों और योजनाओं में महिला किसानों एवं कृषि मजदूरों की सही पहचान सुनिश्चित की जाए।

6. बिना वेतन वाले श्रम का बोझ कम करें: स्वच्छ पानी, बच्चों की देखभाल, स्वच्छता, ऊर्जा सुविधाओं और श्रम कम करने वाली तकनीकों में निवेश किया जाए, ताकि घरेलू और कृषि कार्यों का बोझ घट सके।

7. उचित रोजगार सुनिश्चित करें: महिला कृषि मजदूरों के लिए पारदर्शी मजदूरी व्यवस्था, सुरक्षित कार्यस्थल, सुरक्षा उपकरण और शिकायतों के समाधान की प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए।

8. निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाएँ: गाँव स्तर की कृषि समितियों, जल उपयोगकर्ता समूहों, सहकारी संस्थाओं, नीति संबंधी चर्चाओं और नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।

पहचान से वास्तविक अधिकारों तक

महिला किसानों को केवल सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उन्हें समान अवसर, सुरक्षित अधिकार, संसाधनों तक पहुँच और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सार्थक भागीदारी चाहिए। उनके योगदान को केवल भाषणों और समारोहों में नहीं, बल्कि भूमि अभिलेखों, ऋण प्रणालियों, कृषि योजनाओं, बाजारों और संस्थाओं में भी मान्यता मिलनी चाहिए।

जिस कृषि व्यवस्था में उसे संभालने वाले लोगों को ही समान अवसर नहीं मिलते, वह अपनी पूरी क्षमता से विकास नहीं कर सकती। महिला किसानों को सशक्त बनाने से परिवारों की आय बढ़ सकती है, खाद्य सुरक्षा मजबूत हो सकती है, टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन मिल सकता है और ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास हो सकता है।

निष्कर्ष

महिला किसानों की कहानी संघर्ष, कौशल, समर्पण और दृढ़ता की कहानी है। लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत करने से अपने आप पहचान और समानता नहीं मिल जाती। देश का पेट भरने में योगदान देने वाली महिलाओं को कृषि व्यवस्था में अदृश्य नहीं रहना चाहिए।

हमारा उद्देश्य महिलाओं की मेहनत की केवल प्रशंसा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करना भी होना चाहिए। भूमि तक सुरक्षित पहुँच, उचित मजदूरी, सस्ते ऋण, आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और निर्णय लेने में समान भागीदारी वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक हैं।

जब महिला किसानों को उनके उचित अधिकार और संसाधन मिलेंगे, तो इसका लाभ केवल उनके परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पूरा समाज मजबूत होगा। बीज बोने और फसल काटने वाले हाथ केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि स्वामित्व, अवसर और समानता के भी हकदार हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक

हर किताब एक दोस्त, हर पन्ना एक उत्सव

डॉ. विजय गर्ग

किताबें मानव जीवन की सबसे विश्वसनीय साथियों में से एक हैं। वे न तो हमारा ध्यान पाने की माँग करती हैं, न हमारी कमजोरियों के लिए हमें दोष देती हैं और न ही कठिन समय में हमारा साथ छोड़ती हैं। इसके बजाय, वे चुपचाप अपने पन्ने खोलती हैं और हमें ज्ञान, कल्पना, विवेक तथा रोमांच की दुनिया में आमंत्रित करती हैं। एक अच्छी किताब हमें हँसा सकती है, हमारी आँखों में आँसू ला सकती है, पुरानी यादें ताजा कर सकती है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। जिन लोगों में पढ़ने का शौक विकसित हो जाता है, उनके लिए हर किताब एक दोस्त बन जाती है और हर पन्ना एक उत्सव का रूप ले लेता है।

किताबें: समय और दूरी से परे दोस्त

दोस्ती का संबंध अक्सर उन लोगों से होता है, जो हमारी खुशियाँ साझा करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं और जीवन की चुनौतियों में हमारा साथ देते हैं। किताबें भी एक अनोखे ढंग से यही भूमिका निभाती हैं। पढ़ने के माध्यम से हम उन लोगों से जुड़ सकते हैं, जिनसे हम कभी मिले नहीं होते। हम उन स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ शायद कभी शारीरिक रूप से न पहुँच सकें, और ऐसे अनुभवों को समझ सकते हैं, जो हमारे अपने जीवन से बहुत दूर हैं।

एक उपन्यास हमें ऐसे यादगार पात्रों से परिचित कराता है, जिनके संघर्ष और उपलब्धियाँ हमारे अपने जीवन से मिलती-जुलती हो सकती हैं। किसी महान व्यक्ति की जीवनी हमें विचारकों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और नेताओं के जीवन-सफर से जोड़ती है। कविता उन भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कभी-कभी कठिन होता है। इतिहास हमें पिछली पीढ़ियों के अनुभवों से जोड़ता है, जबकि विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी सहायता करता है।

किताबों की विशेषता यह है कि उनका साथ हमें हर समय उपलब्ध रहता है। कोई किताब यात्रा में हमारी साथी बन सकती है, अकेलेपन में सांत्वना दे सकती है या आत्मविश्वास कमजोर पड़ने पर प्रेरणा प्रदान कर सकती है। पढ़ने का आनंद जीवनभर हमारे साथ रह सकता है।

हर पन्ने में छिपा एक उत्सव

पढ़ना केवल जानकारी एकत्र करने का अभ्यास नहीं है। यह मन को सक्रिय और हृदय को समृद्ध करने वाला अनुभव है। हर पन्ना कुछ नया जानने, पुरानी मान्यता पर पुनर्विचार करने या किसी नई संभावना की कल्पना करने का अवसर देता है।

जब हम कोई रोचक कहानी पढ़ते हैं, तो हमारी कल्पना एक ऐसे मंच में बदल जाती है, जहाँ अनगिनत घटनाएँ घटित होती हैं। हम दूर-दराज के दृश्यों का अनुभव करते हैं, असाधारण व्यक्तित्वों से परिचित होते हैं और अपने आसपास से दूर घटने वाली घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। छपे हुए शब्द भले ही वही रहें, लेकिन हमारे अनुभव और समझ बढ़ने के साथ उनके अर्थ और गहरे हो सकते हैं।

बचपन में पढ़ी गई कोई किताब हमें आश्चर्य और उत्सुकता से भर सकती है। वही किताब जब हम वयस्क होने पर दोबारा पढ़ते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी, रिश्तों और मानवीय स्वभाव से जुड़े ऐसे सबक मिल सकते हैं, जिन्हें हम पहले नहीं समझ पाए थे। इस प्रकार किताबें अपने पाठकों के साथ-साथ विकसित होती हैं।

पढ़ने का उत्सव मनाने के लिए महँगे साधनों या भव्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। एक आरामदायक कुर्सी, शांत कोना और अच्छी किताब मिलकर खुशी की दुनिया बना सकते हैं। प्रतिदिन कुछ पन्ने पढ़ना भी आधुनिक जीवन के शोर और दबाव के बीच शांति के क्षण प्रदान कर सकता है।

पढ़ना और मानसिक विकास

किताबें हमारी शब्दावली को समृद्ध



करती हैं, पढ़ी गई सामग्री को समझने की क्षमता बढ़ाती हैं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता करती हैं। वे एकाग्रता, विश्लेषणात्मक सोच और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता विकसित करती हैं।

आज के समय में छोटी वीडियो क्लिप, लगातार आने वाली सूचनाएँ और तेजी से बदलती डिजिटल सामग्री हमारा ध्यान आकर्षित करती रहती हैं। ऐसे वातावरण में पढ़ना हमें धैर्य और लंबे समय तक एकाग्र रहने का अभ्यास कराता है।

एक विचारशील पाठक किताब में लिखी प्रत्येक बात को बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं करता। वह प्रश्न पूछता है: ऐसा क्यों हुआ? इस तर्क के समर्थन में क्या प्रमाण हैं? क्या इसकी कोई दूसरी व्याख्या भी हो सकती है? ऐसे प्रश्न स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक सोच को विकसित करते हैं।

किताबें हमारे भीतर सहानुभूति की भावना भी पैदा करती हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की आशाओं, भय और कठिनाइयों को समझकर हम अपने अनुभवों से परे की दुनिया को जानना सीखते हैं। साहित्य हमें दूसरों की गरिमा का सम्मान करना सिखाता है, जबकि ऐतिहासिक विवरण असहिष्णुता, भेदभाव और अन्याय के परिणामों से परिचित कराते हैं।

विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी किताबें पढ़ना विशेष रूप से लाभदायक है। पाठ्यपुस्तकें आवश्यक ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन व्यापक पठन की आदत जिज्ञासा, रचनात्मकता और जीवनभर सीखते रहने की इच्छा विकसित करती है। शिक्षा तब अधिक सार्थक बनती है, जब सीखना केवल परीक्षाओं तक सीमित न रहकर वास्तविक रुचि से जुड़ जाता है।

पुस्तकालय: अनगिनत दोस्तों का मिलन स्थल

पुस्तकालय शायद वह सबसे सुंदर स्थान है, जहाँ किताबों के साथ दोस्ती का वास्तविक आनंद अनुभव किया जा सकता है। इसकी अलमारियों में विभिन्न शताब्दियों, संस्कृतियों और विषयों की हजारों आवाजें एक साथ मौजूद होती हैं। पाठक गणित से दर्शनशास्त्र, खगोल विज्ञान से कविता और सभ्यताओं के इतिहास से नवीनतम वैज्ञानिक खोजों तक की यात्रा कर सकता है।

पुस्तकालय में समृद्धि का माप किसी व्यक्ति की संपत्ति से नहीं, बल्कि सीखने के उपलब्ध अवसरों से होता है। साधारण परिवार का विद्यार्थी भी उन विचारों को जान सकता है, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है। सेवानिवृत्त व्यक्ति कोई नया शौक खोज सकता है और युवा पाठक असाधारण चुनौतियों पर विजय पाने वाले लोगों के अनुभवों से प्रेरणा ले सकता है।

सार्वजनिक, विद्यालयी और डिजिटल पुस्तकालय किताबों की इस दुनिया को समाज के अधिक लोगों तक पहुँचाते हैं। वे निःशुल्क या कम लागत पर किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराकर शिक्षा में असमानताओं को कम कर सकते हैं।

हालाँकि, पुस्तकालय वास्तव में जीवंत तब बनता है, जब पढ़ने को केवल शैक्षणिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आनंददायक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

डिजिटल युग में पढ़ने के आनंद को बनाए रखना

तकनीक ने किताबें खोजने और पढ़ने के तरीके को बदल दिया है। ई-पुस्तकों, ऑडियोबुक और डिजिटल पुस्तकालयों ने पढ़ने को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बना दिया है। अब पाठक एक छोटे से उपकरण में पुस्तकों का विशाल संग्रह रख सकते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों की अध्ययन सामग्री तक पहुँच सकते हैं।

फिर भी, जानकारी तक पहुँच होना अपने आप में पढ़ने की आदत विकसित नहीं करता। लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करना और डिजिटल माध्यमों से होने वाला ध्यान भटकाव हमें विचारों से गहराई से जुड़ने से रोक सकता है। चुनौती तकनीक को अस्वीकार करने की नहीं, बल्कि उसका समझदारी से उपयोग करने की है।

परिवार बच्चों के साथ मिलकर पढ़कर, कहानियों पर चर्चा करके और किताबों को उनकी पहुँच में रखकर पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विद्यालयों में पठन क्लब, कहानी सुनाने के कार्यक्रम, पुस्तक प्रदर्शनियाँ और लेखकों के साथ संवाद आयोजित किए जा सकते हैं। समुदायों में छोटी पुस्तकालयें और पुस्तकें साझा करने की पहल भी की जा सकती है।

माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को उन विषयों की किताबें पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनमें उनकी वास्तविक रुचि हो। जब पढ़ना बोझ के बजाय आनंद का स्रोत बन जाता है, तो उसके जीवनभर की आदत बनने की संभावना बढ़ जाती है।

एक ऐसा उत्सव जो कभी समाप्त नहीं होता

किताबें हमें याद दिलाती हैं कि मानव मन में अनंत खोज करने की क्षमता है। हर किताब एक दरवाजा खोलती है और उसके पीछे नए प्रश्न, नए दृष्टिकोण तथा अनजानी संभावनाएँ मौजूद होती हैं। कुछ किताबें हमारा मनोरंजन करती हैं, कुछ हमारी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और कुछ हमारे स्वयं को तथा दुनिया को समझने का तरीका बदल देती हैं।

पढ़ने का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह बिना भौतिक संपत्ति के भी हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाता है। यह पीढ़ियों को जोड़ता है, भौगोलिक सीमाओं को पार करता है और दूर स्थित विचारों को सार्थक संवाद में बदल देता है।

आइए, किताबों को अपने दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएँ। बच्चों को किताबें उपहार में दें, मित्रों के साथ साझा करें, पुस्तकालयों को सहयोग दें और अपने घरों तथा समुदायों में पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करें।

हर किताब एक भरोसेमंद दोस्त बन सकती है, हर पन्ना नई खोज का अवसर दे सकता है और पढ़ने का हर अनुभव जीवन के उत्सव में बदल सकता है। जब किताबों से हमारी दोस्ती जीवनभर के लिए हो जाती है, तो यह उत्सव कभी समाप्त नहीं होता।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात शिक्षाविद्
गली कौर चंद, एम.एच.आर.
मलोट, पंजाब – 152107

चंडीगढ़ में कैब किरायों को लेकर भारत टैक्सी का स्पष्टीकरण

परिवहन विशेष न्यूज



चंडीगढ़, अक्टूबर 2026: चंडीगढ़ में कैब किरायों को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में भारत टैक्सी स्पष्ट करना चाहती है कि उसके द्वारा किराया चंडीगढ़ के राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार ही लिया जाता है। किराया निर्धारित संरचना पर आधारित है और स्वीकृत दरों के अनुरूप है।

भारत टैक्सी यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि वह पीक आवर्स या अधिक मांग के समय भी सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं करती है। उसके किराए STA के निर्देशों के अनुरूप स्थिर रहते हैं और मांग या वाहनों की उपलब्धता के आधार पर इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती। इससे यात्रियों को राइड बुक करते समय अचानक किराया बढ़ने की चिंता नहीं रहती।

चंडीगढ़ में अन्य कैब एग्रीगेटर्स के निलंबन के संबंध में भारत टैक्सी की कोई भूमिका नहीं है। उनके लाइसेंस, अनुमति या निलंबन से जुड़े निर्णय पूरी तरह सक्षम नियामक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत टैक्सी का इन निर्णयों से कोई संबंध या हस्तक्षेप नहीं है।

सारथियों के स्वामित्व वाली सहकारी संस्था के रूप में भारत टैक्सी की स्थापना ड्राइवरों के लिए बेहतर आय के अवसर उपलब्ध कराने और यात्रियों को भरोसेमंद एवं उचित मूल्य वाली परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मार्गदर्शक सिद्धांत "सारथी ही मालिक" इस विश्वास को दर्शाता है कि ड्राइवरों की उस प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिस पर वे काम करते हैं।

भारत टैक्सी चंडीगढ़ में STA द्वारा अनुमोदित किराया संरचना का पूरी तरह पालन करते हुए यात्रियों को भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके सारथियों को उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिले।

भारत टैक्सी (सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड) सारथियों की एक बहु-राज्य सहकारी संस्था है, जो ड्राइवरों के लिए उचित कमाई, साझा स्वामित्व और सम्मानजनक आजीविका के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED), नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD), नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) सहित प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

'सहकार से समृद्धि' की भावना से प्रेरित भारत टैक्सी का उद्देश्य ऐसी परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता न हों, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के भागीदार भी हों, जिसे वे स्वयं संचालित करने में योगदान देते हैं।

मोर की रंगत और आसमान में रोमांच!

राज्योत्सव में सारंग हेलीकॉप्टर टीम दिखाएगी हवाई करतब

परिवहन विशेष न्यूज



रायपुर। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 में भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम आकर्षण का केंद्र बनेगी। टीम रायपुर पहुंच चुकी है और नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध झील क्षेत्र के ऊपर शानदार हवाई प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित करेगी।

स्वदेश में विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) 'ध्रुव' से उड़ान भरने वाली सारंग टीम अपनी सटीक उड़ान, अद्भुत तालमेल और रोमांचक हवाई करतबों के लिए विश्वभर में पहचान रखती है। टीम का प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के उत्कृष्ट उड़ान कौशल, अनुशासन, टीम भावना और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का शानदार परिचय देगा।

राज्योत्सव के दौरान होने वाला यह हवाई प्रदर्शन विद्यार्थियों, युवाओं, विमानन प्रेमियों और आम नागरिकों के लिए विशेष आकर्षण होगा। आसमान में हेलीकॉप्टरों की सामूहिक उड़ान और सटीक संरचनाओं का नजारा लोगों को रोमांच और गर्व का अनुभव कराएगा।

मोर से प्रेरित अपनी आकर्षक रंग-सज्जा और 'उत्कृष्टता से प्रेरणा' के आदर्श वाक्य के साथ सारंग टीम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय वायु सेना की पेशेवर दक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। रायपुर में टीम की मौजूदगी राज्योत्सव की भव्यता बढ़ाने के साथ युवाओं को विमानन क्षेत्र और राष्ट्रसेवा के प्रति प्रेरित करेगी।

डेढ़ करोड़ बकाया, फिर भी बालू माफिया बेखौफ!



तुमकेला घाट पर कथित अवैध खनन का आरोप, तीन रातों में 250 से अधिक ट्रिप बालू उठाने का दावा

जब सरकारी राजस्व ही सुरक्षित नहीं, तो निगरानी व्यवस्था किसके भरोसे? खनन विभाग की चुप्पी और प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला



सरकारी राजस्व पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये का बकाया, बालू खनन एवं परिवहन पर कथित प्रतिबंध और इसके बावजूद रात के अंधेरे में बालू के उठाव के आरोप—कोयल नदी के तुमकेला बालू घाट की यह तस्वीर खनन व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि स्थानीय स्तर पर सामने आ रहे दावे सही हैं, तो मामला केवल अवैध खनन का नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व की सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का भी है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी और क्षेत्रीय पड़ताल के आधार पर आरोप है कि जब्त बालू के स्टॉक की आड़ में कथित रूप से नए सिरे से नदी से बालू निकालकर उसका परिवहन किया जा रहा है। बताया जाता है कि तुमकेला घाट पर लगभग 50 से 60 ट्रिप बालू जब्त स्टॉक के रूप में दर्ज था। खनन विभाग द्वारा इस स्टॉक की नीलामी और खरीदारों को ट्रांजिट परमिट (टीपी) दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। आरोप है कि इसी व्यवस्था का लाभ उठाकर नदी से ताजा बालू निकालने और उसे बाहर भेजने का कारोबार चल रहा है।

सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि महज तीन रातों में 250 से अधिक ट्रिप बालू का कथित अवैध खनन एवं परिवहन किया गया। हालांकि, इस मात्रा की स्वतंत्र पुष्टि, संबंधित परमिटों का सत्यापन और मौके पर हुई गतिविधियों की आधिकारिक जांच अभी आवश्यक है।

सबसे बड़ा सवाल खनन विभाग की निगरानी पर है। यदि घाट पर खनन प्रतिबंधित है, स्टॉक की मात्रा दर्ज है और परिवहन के लिए परमिट जारी किए गए हैं, तो इन दस्तावेजों के आधार पर बालू की आवाजाही का मिलान क्यों नहीं किया जा रहा? क्या स्टॉक, परमिट और वास्तविक परिवहन की जांच हुई? डेढ़ करोड़ रुपये के कथित बकाये की वसूली की स्थिति क्या है? इन सवालों पर विभागीय जवाबदेही जरूरी है।

सरकारी राजस्व जनता के हित में खर्च होने वाला धन है। इसकी वसूली में लापरवाही या अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। भाजपा नेताओं ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अब सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती स्पष्ट है—बकाये का हिसाब सार्वजनिक किया जाए, स्टॉक एवं ट्रांजिट परमिट का ऑडिट हो और कथित अवैध परिवहन की जांच कराई जाए। यदि आरोप गलत हैं, तो तथ्य सामने आएं; और यदि सही हैं, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। वरना खनिज संपदा की लूट रोकने के सरकारी दावे केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे।

भुवनेश्वर की राष्ट्रीय कार्यशाला में मुजफ्फरपुर के दो शिक्षकों ने किया बिहार का प्रतिनिधित्व

कौशल आधारित शिक्षा, बैगलेस डे और करियर मार्गदर्शन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न; राज्य के अन्य शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित

परिवहन विशेष न्यूज



मुजफ्फरपुर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित वर्ल्ड स्किल सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला में मुजफ्फरपुर जिले के दो शिक्षकों ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए सफलतापूर्वक सहभागिता की। 26 एवं 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस कार्यशाला में दोनों शिक्षकों ने कौशल आधारित शिक्षा, बैगलेस डे, जीवन कौशल तथा विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कार्यशाला में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर ढाब, कांटी के विद्यालय अध्यापक सह डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम लीड कुमार अभिषेक तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर नेउरा, सरैया के विद्यालय अध्यापक सह डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम सदस्य अभिषेक कुमार शामिल हुए। कार्यशाला के माध्यम से दोनों शिक्षकों को विद्यालयी शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, गतिविधि आधारित एवं कौशलपरक बनाने के विभिन्न तरीकों को समझने का अवसर मिला।

इस कार्यशाला का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एनसीईआरटी की घटक इकाई पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSS Central Institute of Vocational Education), भोपाल द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (KRPs) की क्षमता का संवर्धन करना तथा विद्यालयों में कौशल आधारित शिक्षा से जुड़ी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना था।

बैगलेस डे और करियर मार्गदर्शन पर विशेष प्रशिक्षण

कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के अनुरूप कौशल आधारित शिक्षा के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान स्किल-बेस्ड बैगलेस डे, 'कौशल बोध' तथा 'माई करियर एडवाइजर ऐप' (विद्यार्थी मित्र) के प्रभावी उपयोग एवं क्रियान्वयन की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने जीवन कौशल, मशीनों एवं सामग्रियों के उपयोग तथा मानव सेवाओं से संबंधित गतिविधियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। कलाभूमि के शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से कौशल आधारित अधिगम की गतिविधियों को करीब से समझने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त करियर कार्ड, प्रारंभिक करियर जागरूकता तथा विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप भविष्य के विकल्पों से परिचित कराने के तरीकों पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

विद्यालयों में उपयोगी होगा प्रशिक्षण का अनुभव

कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग दोनों शिक्षक अपने विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने, बैगलेस डे को अधिक प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी एवं व्यावहारिक कौशलों से परिचित कराने में करेंगे। करियर मार्गदर्शन से संबंधित पहलों के माध्यम से विद्यार्थियों में भविष्य के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकल्पों के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर की इस कार्यशाला में मुजफ्फरपुर के शिक्षकों की सहभागिता जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे जिले में कौशल आधारित शिक्षा की पहलों को सशक्त बनाने तथा प्रशिक्षण में प्राप्त अनुभवों को अन्य शिक्षकों के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा।

दोनों शिक्षकों की सहभागिता पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आयुष कुमार, जिला शिक्षक शिक्षा समन्वयक मनोज कुमार तथा जिला तकनीकी दल के लीड एवं राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर उर्दू, मुरौल के प्रधान शिक्षक केशव कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय कार्यशाला में अर्जित ज्ञान एवं अनुभव से जिले के विद्यालयों में कौशल आधारित शिक्षा को और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

विधायक निधि से विकास या बदहाली? इंद्रा कॉलोनी में सड़क-नाली निर्माण पर उठे गंभीर सवाल

लाखों के काम में मानकों की अनदेखी का आरोप, मकानों से नीचे सड़कें और बदहाल नालियां बनीं मुसीबत

गोपाल सिंह चाहर ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय से की जांच और कार्रवाई की मांग

जनता के भरोसे की कसौटी है विकास कार्य – सरकारी धन जनता की सुविधा के लिए है, विकास के नाम पर लापरवाही की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए : गोपाल सिंह चाहर

परिवहन विशेष न्यूज



आगरा। जनता की सुविधा के लिए जारी सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो, विकास कार्य गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप हों यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन शाहगंज के वार्ड-6 स्थित इंद्रा कॉलोनी में विधायक निधि से कराए जा रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों और गोपाल सिंह चाहर ने निर्माण में अनियमितताओं, तकनीकी निगरानी के अभाव और मानकों की कथित अनदेखी के आरोप लगाते हुए उच्च शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक योगेन्द्र उपाध्याय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

लाखों खर्च, फिर भी लोगों की परेशानी बरकरार

स्थानीय निवासियों और गोपाल सिंह चाहर, प्रदेश महामंत्री, अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधायक निधि से इंद्रा कॉलोनी में आरसीसी सड़क निर्माण और नालियों के दुरुस्तीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि मौके पर इंजीनियर की नियमित निगरानी दिखाई नहीं दे रही और मजदूर जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग जब निर्माण की खामियों की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो कथित तौर पर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।

पुरानी इंटरलॉकिंग उखाड़ी, सड़क की ऊंचाई पर गंभीर सवाल

स्थानीय निवासियों और चाहर के अनुसार, निर्माण कार्य से पहले पुरानी इंटरलॉकिंग उखाड़ दी गई, लेकिन नीचे मौजूद लगभग छह इंच बालू की परत हटाए बिना उसके ऊपर गिट्टी डालकर सड़क की ऊंचाई और बढ़ा दी गई। उनका कहना है कि कॉलोनी के कई मकानों का स्तर पहले से सड़क से ऊंचा नहीं था, अब नई सड़क बनने से घरों और सड़क के बीच ऊंचाई का अंतर और बढ़ गया है। इससे बारिश के पानी की निकासी और घरों में पानी घुसने की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है।

नालियां बदहाल, सड़क पर बह रहा पानी

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नालियों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने से पहले ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया। कई स्थानों पर नालियां टूटी हुई, गहरी और कम चौड़ी बताई गई हैं। उनका दावा है कि नालियों से पानी रिसकर सड़क पर आ रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर नालियों का स्तर सड़क से ऊंचा होने के कारण निकासी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि जल निकासी की समस्या दूर नहीं हुई, तो नई सड़क बनने का वास्तविक लाभ कॉलोनीवासियों को कैसे मिलेगा?

मानक पत्र नहीं दिखाने का भी आरोप

लोगों ने दावा किया कि निर्माण कार्य की शर्तों और तकनीकी मानकों से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर अधिकृत ठेकेदार ने उन्हें नहीं दिखाया। उन्होंने मांग की कि कार्य की स्वीकृत लागत, निर्माण एजेंसी, तकनीकी मानक और गुणवत्ता जांच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, ताकि सरकारी धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

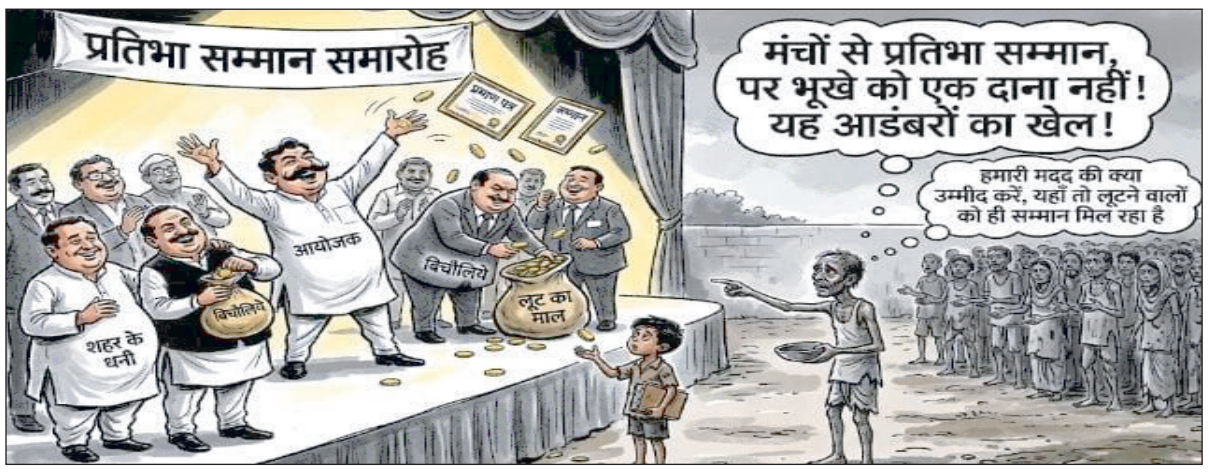
मंत्री से दोटूक मांग – जांच हो, जवाबदेही तय हो

स्थानीय निवासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय से जनहित में मामले का संज्ञान लेने, निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने और अनियमितताएं प्रमाणित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि विधायक निधि जनता की अमानत है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सड़कें, स्वच्छ जल निकासी और सुविधाजनक जीवन देना है, न कि ऐसा निर्माण कराना जिससे लोगों की समस्याएं और बढ़ जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार से यह भी आग्रह किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हो और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उनका कहना है कि जनता को केवल निर्माण कार्य का उद्घाटन या सड़क की नई परत नहीं, बल्कि टिकाऊ और मानकयुक्त विकास चाहिए।

जनता के भरोसे की कसौटी है विकास कार्य

इंद्रा कॉलोनी का मामला स्थानीय स्तर पर सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी और जवाबदेही का सवाल उठाता है। अब निगाहें संबंधित विभाग, निर्माण एजेंसी और जनप्रतिनिधि की ओर हैं कि आरोपों की जांच कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाती है या नहीं। यदि खामियां मिलती हैं, तो उनका सुधार और जिम्मेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी होगा। सरकारी धन जनता की सुविधा के लिए है। विकास के नाम पर लापरवाही की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

भविष्य में चुनाव की रणबेदी पर कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन। कहीं ना कहीं सोची समझी चुनावी तैयारिया नजर आ रही है।



कड़वा सत्य: मंचों पर चमकता आडंबर और सिसकती जमीनी हकीकत।

हरिओम बाजपेई नादान

पीलीभीत। चुनावी बयार बहते ही शहर की आबोहवा में एक अलग ही खनक घुलने लगी है। अबकी बार मामला सिर्फ भाषणों और नारों का नहीं, बल्कि 'संस्कृति प्रेम' के नाम पर सजने वाले उन चमचमाते मंचों का है, जहाँ साहित्य की कम और राजनीतिक सियासत की दाल ज्यादा गल रही है। जनता के बीच चर्चा आम है कि जिन चेहरों ने कभी किसी गरीब की आह नहीं सुनी, वे आज 'कला और साहित्य के मसीहा' बनकर मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ताजा कवि सम्मेलन और मुशायरे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने तथाकथित 'विभूति सम्मान' की असलियत खोलकर रख दी है। स्थिति यह है कि अब समाज सेवा और प्रतिभा का पैमाना तय करने के लिए योग्यता की नहीं, बल्कि जेब की मोटाई और जुगाड़ की जरूरत पड़ने लगी है चिकित्सा क्षेत्र मे जिन्हे 'पीलीभीत विभूति' से उन्हें नवाजा गया, जिनके क्लीनिक के दरवाजे पर पहुंचने वाले किसी गरीब मरीज की आह उन्होंने कभी नहीं सुनी। एक रुपया फीस कम करने या दवा के नाम पर रियायत देने के बजाय, जिन्हें सिर्फ मुनाफे की भाषा समझ आती है, वे आज समाज के 'चिकित्सक रत्न' बने घूम रहे हैंशिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले संस्थानों से जुड़े कुछ ऐसे नुमा इंदों को भी सम्मानित कर दिया गया, जिन्होंने फीस के कुछ पैसे समय पर जमा न होने पर किसी मासूम गरीब बच्चे को परीक्षा हाल से बाहर खदेड़ने में एक पल की भी देर नहीं लगाई। वही व्यापार को ही अपनी एक मात्र धर्मस्थली मानने वाले, और परोपकार से जिनका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं रहा, वे भी आज मंचों पर फूल-मालाओं से लदे नजर आ रहे हैं। साफ है कि अब मान-सम्मान भी बाजार की एक वस्तु बन चुका है 'पैसा दो और विभूति खरीद लो' की तर्ज पर यह पूरा खेल खेला जा रहा है वही एक तरफ लाखों रुपये की चका चौंध मंचों पर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि यही धन यदि किसी गरीब बेटी के हाथ पीले करने, किसी लाचार मरीज की जान बचाने या किसी मेधावी वंचित छात्र की फीस भरने में लगाया जाता, तो शायद समाज का कुछ भला हो जाता। लेकिन जब नीयत सेवा की न होकर सिर्फ 'दिखावे की चमक' और राजनीतिक रोटियां सेकने की हो, तो संवेदनाएं ऐसे आयोजनों के शोर में कहीं दब कर दम तोड़ देती हैं। संस्कृति और साहित्य के नाम पर चल रहा यह छद्म आवरण अब बेनकाब होने लगा है। जनता भी भली भांति समझ चुकी है कि यह आयोजन कला का सम्मान नहीं, बल्कि आने वाले दिनों के लिए बिछाई जा रही सियासी बिसात हैं। अब समय आ गया है कि आम जनमानस इस सतही और खोखले दिखावे को पहचाने, ताकि साहित्य की पवित्रता और जनसेवा के असली अर्थ को इन बिकाऊ मंचों के हवाले होने से बचाया जा सके।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html I tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार: अनचाहे OTP और MFA अनुरोधों से सावधान: एक क्लिक में हो सकता है आपका डिजिटल खाता हैक, जानें Account Takeover से बचाव के उपाय

अनचाहे प्रमाणीकरण अनुरोध (Unsolicited Authentication Requests) और खाता अधिग्रहण (Account Takeover)

"अप्रत्याशित प्रमाणीकरण अनुरोध अक्सर किसी हमले का अंतिम चरण होते हैं। अनुरोध को अस्वीकार करें, जांच करें और अपने खाते को तुरंत सुरक्षित करें।"

एक अनचाहा प्रमाणीकरण अनुरोध (Unsolicited Authentication Request), खाता अधिग्रहण (Account Takeover - ATO) के प्रयास के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है। ऐसे अनुरोध तब उत्पन्न होते हैं जब किसी पीड़ित को प्रमाणीकरण प्रॉम्प्ट, वन-टाइम पासवर्ड (OTP), मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (MFA) स्वीकृति अनुरोध, या लॉगिन पुष्टि प्राप्त होती है, जबकि उसने लॉगिन करने का कोई प्रयास नहीं किया होता।

साइबर अपराधी अक्सर फ़िशिंग, क्रेडेंशियल स्टफिंग, मैलवेयर, डेटा उल्लंघन (Data Breaches), सोशल इंजीनियरिंग, या अंदरूनी समझौते (Insider Compromise) के माध्यम से वैध उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद इन प्रमाणीकरण चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं। यदि पीड़ित गलती से अनुरोध को स्वीकृति दे देता है या प्रमाणीकरण कोड का खुलासा कर देता है, तो हमलावर को खाते तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप खाते का पूर्ण अधिग्रहण हो सकता है।

अनचाही (Unsolicited) Authentication Request से Account Takeover कैसे होता है?

Unsolicited Authentication Request वह स्थिति है जब किसी उपयोगकर्ता को OTP, MFA (Multi-Factor Authentication) Approval Notification, Login Verification Request या Authentication Prompt प्राप्त होता है, जबकि उसने स्वयं कोई लॉगिन प्रयास नहीं किया होता।

ऐसी स्थिति यह संकेत देती है कि साइबर अपराधी संभवतः उपयोगकर्ता का यूज़रनेम और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर चुके हैं तथा अब खाते तक पहुँचने के लिए अंतिम सुरक्षा परत (MFA/OTP) को पार करने का प्रयास कर रहे हैं।

Account Takeover की प्रक्रिया

1. Credentials की चोरी

हमलावर निम्न माध्यमों से लॉगिन विवरण प्राप्त करते हैं:

- फिशिंग ई-मेल या वेबसाइट
- डेटा ब्रीच से लीक हुए पासवर्ड
- मालवेयर/इन्फो-स्टीलर
- सोशल इंजीनियरिंग
- Credential Stuffing Attack

2. लॉगिन प्रयास

चोरी किए गए यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग कर हमलावर खाते में लॉगिन करने का प्रयास करता है। पासवर्ड सही होने पर सिस्टम MFA/OTP सत्यापन शुरू कर देता है।

3. Authentication Request प्राप्त होना

उपयोगकर्ता के मोबाइल या ईमेल पर:

- OTP
- Authenticator App Notification
- "Approve/Deny" Request
- Login Verification Alert

प्राप्त होती है।

यदि उपयोगकर्ता ने लॉगिन शुरू नहीं किया है, तो यह संभावित हमले का संकेत है।

Unsolicited Authentication से Account Takeover कैसे होता है?



(A) MFA Fatigue Attack (Push Bombing)

हमलावर बार-बार लॉगिन प्रयास करता है जिससे उपयोगकर्ता को लगातार MFA Notifications प्राप्त होती रहती हैं।

- उपयोगकर्ता परेशान या भ्रमित हो जाता है।
- गलती से "Approve" पर क्लिक कर देता है।
- हमलावर को तुरन्त खाते की पहुँच मिल जाती है।

(B) Social Engineering

हमलावर बैंक, IT Support, पुलिस अधिकारी या किसी विश्वसनीय संस्था का प्रतिनिधि बनकर कॉल करता है।

उदाहरण:

"आपके खाते का सत्यापन किया जा रहा है, कृपया Authentication Request Approve कर दें।"

उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध स्वीकार करते ही अकाउंट समझौता (Compromise) हो जाता है।

(C) OTP Sharing Fraud

हमलावर लॉगिन शुरू करता है।

- OTP उपयोगकर्ता को प्राप्त होती है।
- कॉल या संदेश के माध्यम से OTP मांगी जाती है।
- OTP साझा होते ही खाता हमलावर के नियंत्रण में चला जाता है।

Account Takeover के संकेत

बार-बार MFA या OTP प्राप्त होना

अनजान स्थान से Login Alert

Password Reset Notification

Security Settings में परिवर्तन

नए Device या Recovery Email का जुड़ना

बैंकिंग/UPI संबंधी अनधिकृत संदेश

यदि ऐसी Authentication Request प्राप्त हो तो क्या करें?

✓ तुरंत Reject/Deny करें।
✓ पासवर्ड तुरंत बदलें।
✓ सभी सक्रिय Sessions Logout करें।
✓ Account Activity और Login History जांचें।
✓ MFA Settings की समीक्षा करें।
✓ अज्ञात Devices हटाएँ।
✓ संबंधित सेवा प्रदाता को घटना की सूचना दें।

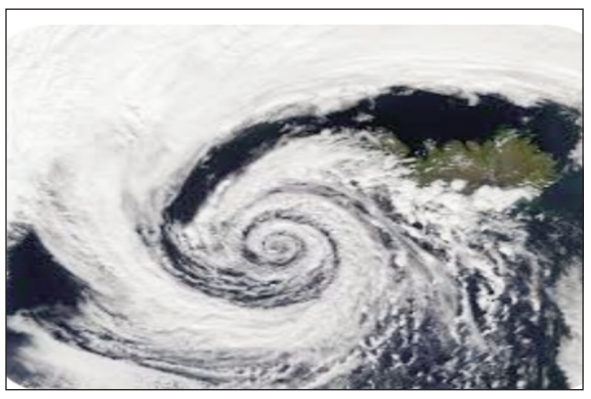
बचाव के उपाय

- प्रत्येक खाते के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड रखें।
- Number Matching MFA का उपयोग करें।
- =OTP किसी के साथ साझा न करें।
- –अनजान Authentication Requests कभी Approve न करें।
- –नियमित रूप से Account Activity की समीक्षा करें।
- – Password Manager का उपयोग करें।

"यदि आपने Login शुरू नहीं किया है, तो कोई भी OTP, Approval Request या Authentication Alert संभावित साइबर हमले का संकेत हो सकता है।"

एक गलती से किया गया "Approve" क्लिक साइबर अपराधी को आपके पूरे डिजिटल खाते का नियंत्रण सौंप सकता है।

रांची कर्मचारी चयन आयोग ने चक्रवात मद्देनजर दो दिन स्कूल बंद करने की मांग की



कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड में 28 और 29 अक्टूबर को तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना को देखते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने दोनों दिन स्कूल बंद रखने की मांग की है. महासंघ ने इस संबंध में शिक्षा सचिव और रांची के उपायुक्त को पत्र भेजा है.

महासंघ के अध्यक्ष आदिल जहीर ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तेज हवा और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. ऐसे मौसम में विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो सकती है. तेज हवा और भारी बारिश के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है. इसी को देखते हुए महासंघ ने 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने की मांग की है.

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांग से शिक्षा सचिव और रांची के उपायुक्त को अवगत कराया है. अब स्कूल बंद रखने को लेकर संबंधित अधिकारियों के निर्णय पर नजर रहेगी.

महासंघ ने दोनों दिन स्कूल बंद रखने की मांग की है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्कूलों में छुट्टी को लेकर कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं।

ओडिशा में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर NCIB की चिंता मुख्यमंत्री की अक्षमता का प्रमाण: भक्त चरण दास

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: ओडिशा में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए जाने के बाद राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की विफलता उजागर हुई है। हाल ही में NCIB ने पुलिस हिरासत में कथित पुलिस प्रताड़ना, अवैध हिरासत और पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए और गृह विभाग के दायित्व से हट जाना चाहिए। बताया जाता है कि २३ जून २०२६ को NCIB के ओडिशा राज्य निदेशक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य में पुलिस प्रताड़ना और संभावित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की सलाह दी थी। इसके बाद 16 सितंबर २०२६ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव के पास भेजा। वहीं, 16 अक्टूबर २०२६ को ओडिशा के गृह विभाग ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक (DGP) एवं पुलिस महानिरीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुख्यमंत्री ने ३० अगस्त को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 10 सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। इसमें अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग तथा तकनीक आधारित जांच पर जोर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसाधन, वित्तीय सहायता और प्रशासनिक सहयोग सहित पूर्ण सरकारी समर्थन देने का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस का व्यवहार नागरिकों में विश्वास पैदा करने वाला होना चाहिए।



टाटा ने खरीदा इटली की बड़ी कंपनी इवेको, 37 हजार करोड़ में हुई डील

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जमशेदपुर, भारतीय ऑटोमोबाइल जगत में नया इतिहास रचते हुए टाटा मोटर्स ने इटली की दिग्गज वाणिज्यिक वाहन (कमर्शियल व्हीकल) निर्माता कंपनी 'इवेको ग्रुप' का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

37 हजार करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य वाले इस मेगा डील ने टाटा मोटर्स को वैश्विक मंच पर स्वयं को सबसे बड़े वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में शुमार कर दिया है।

यह सौदा साल 2008 में किए गए जगुआर लैंड रोवर (2.3 अरब डॉलर) के अधिग्रहण से भी लगभग दोगुना बड़ा है।

टाटा मोटर्स की अनुषंगी कंपनी 'टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बीवी' की ओपन ऑफर प्रक्रिया सोमवार को संपन्न हुई। इसमें निर्धारित 80 प्रतिशत की आवश्यक सीमा को पार करते हुए 87.81 प्रतिशत शेयर टेंडर हुए।

इसके साथ ही, इवेको में टाटा की कुल हिस्सेदारी (ट्रेजरी शेयर घटाकर) बढ़कर 89.42 प्रतिशत हो गई है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी 14.40 यूरो प्रति शेयर की दर से हासिल की है।

इस अधिग्रहण के तहत, टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, जेएलआर के मुख्य कार्यकारी पीबी बालाजी और टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक गिरीश वाघ इवेको के नए निदेशक मंडल में शामिल होंगे।

टाटा मोटर्स के सबसे बड़े भारी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माण केंद्र- जमशेदपुर प्लांट के लिए यह विलय एक मील का पत्थर साबित होगा।

इवेको के पास भारी खनन ट्रकों, अत्याधुनिक ट्रैक्टर-ट्रेलरों और वैकल्पिक ईंधन इंजन की आधुनिक यूरोपीय तकनीक है।

दोनों कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास प्लेटफॉर्म साझा होने से अब जमशेदपुर प्लांट में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक और उन्नत मॉडल तैयार किए जा सकेंगे।



इस बड़े विलय के बाद संयुक्त समूह की सालाना बिक्री 5.9 लाख वाहनों के पार पहुंच जाएगी, जबकि कुल वार्षिक राजस्व लगभग 21 अरब यूरो (करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये) हो जाएगा।

इस अधिग्रहण से टाटा मोटर्स को यूरोप, पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका के उन बड़े और प्रीमियम बाजारों में सीधी पैठ मिल जाएगी, जहां इवेको पहले से ही मजबूत स्थिति में है।



चक्रवात 'अर्नब' से निपटने के लिए पूर्व तट रेलवे ने सुरक्षा तैयारियां तेज कीं

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : पूर्व तट रेलवे ने चक्रवात 'अर्नब' के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। यह चक्रवात 27 से 29 अक्टूबर 2026 के दौरान ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। ओडिशा के पांच जिलों—गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी में इसका असर पड़ने की आशंका है। रेलवे के सबसे संवेदनशील क्षेत्र रायगड़ा मंडल के अंतर्गत आते हैं। चक्रवात से निपटने के लिए भुवनेश्वर स्थित रेल सदन में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ सक्रिय कर दिया गया है। वहीं, मंडल मुख्यालयों में 24 घंटे कार्यरत वार रूम बनाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है तथा अतिरिक्त गश्ती कर्मियों और चौकीदारों को तैनात किया गया है। संवेदनशील रेलखंडों की निगरानी और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रणनीतिक स्थानों पर मानसून रिजर्व ट्रेनें, डीजल इंजन, टावर वैगन, भारी मशीनरी, इंजीनियरिंग उपकरण और बहाली संबंधी सामग्री तैयार रखी गई है। दुर्घटना राहत ट्रेनें (ART), चिकित्सा दल, एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं भी तैयार रखी जा रही हैं। चक्रवात की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए मौसम विभाग और ओडिशा सरकार के साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

स्टेशन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों के परिचालन में होने वाले बदलावों की जानकारी दें। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, रेलवे के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और सेवाओं को जल्द बहाल करने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। संभावित खराब मौसम को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर ट्रेनों के परिचालन को नियंत्रित किया जाएगा।

मौसम की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा आकलन के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर आगे भी परिचालन संबंधी कदम उठाए जाएंगे। पूर्व तट रेलवे स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। सभी संबंधित विभागों और मंडलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।

इन समन्वित उपायों का उद्देश्य यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करना तथा चक्रवात का प्रभाव समाप्त होने के बाद सामान्य रेल परिचालन को यथाशीघ्र बहाल करना है।

छात्राओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता के संदेश को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन

नई दिल्ली ।सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक मनोरंजक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 27 अक्टूबर,को ओएनजीसी विदेश सेवा लिमिटेड (वसंत कुंज) द्वारा आयोजित और राइज़ फाउंडेशन के सहयोग से ज्ञान कला मंच के कलाकारों नीता गुप्ता,बाबू भाई सिंधी,राहुल मसारी,प्रीति गारिया,जीत आनंद और कुमार सौरव ने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय वसंत कुंज में मिडिल ग्रुप की छात्राओं में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता का संदेश दिया ।हमारे देश के बहुत से विभागों में पसरा हुआ भ्रष्टाचार हम सब के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है ।नाटक के माध्यम से छात्राओं को रिश्वत न लेने और न देने का संदेश दिया गया। बल्कि उसकी शिकायत करने और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी संदेश दिया गया विद्यालय की अध्यापिकाओं, ओएनजीसी विदेश से श्वेता अष्टेकर (मैनेजर एचआर),एवं कई ऑफिशियल्स, मधुकर वाघ्मोय जी फाउंडर मेंबर अराइज़ फाउंडेशन और अनुराग गुप्ता जी (फाउंडर ऑफ़ ज्ञान कला मंच थिएटर ग्रुप द्वारका)ने कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहकर छात्राओं के साथ नुक्कड़ नाटक का आनंद लिया ।



मंत्री इरफान ने अर्णब से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन को एलर्ट मोड पर रखा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड में चक्रवात 'अर्णव' के संभावित खतरे और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक और सुरक्षात्मक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य में तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इसे देखते हुए सभी उपायुक्तों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की आपात बैठक बुलाने और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों को संभावित प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।



निचले और जलजमाव वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रशासन ने बिजली आपूर्ति, संचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया है।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को 24 घंटे स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने और अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रखने का निर्देश जारी किया है।

चक्रवात के असर को देखते हुए रांची समेत कई जिलों में उपायुक्तों के स्तर पर एहतियातन स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया जा रहा है।

जनसंपर्क पदाधिकारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023